



संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)



ANNUAL REPORT

Financial Year 2022-23

(Under Section 104 & 105 of Electricity Act, 2003)

XV EDITION



वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022-23

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 और 105 के तहत)

XV संस्करण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55-56
सेक्टर-18, उद्योग विहार फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

E-mail: secy.jercuts@gov.in

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ||



विषय सूची

(i) अनुलग्नक	2
(ii) संक्षिप्तियाँ	3
(iii) अध्यक्ष की कलम से	4-5
1. आयोग का संगठनात्मक ढांचा	6
1.1 आयोग	6
1.2 आयोग के कार्य एवं कर्तव्य	7-8
1.3 आयोग के सदस्यों की जीवन-वृत्त	9-10
1.4 आयोग की संगठनात्मक संरचना	11
1.5 आयोग का कार्यालय	12
1.6 जन सुनवाई	12
1.7 वेबसाइट	12
1.8 डिजिटल कार्यस्थल: ई-ऑफिस कार्यान्वयन	12
1.9 प्रशिक्षण	13
1.10 सूचना का अधिकार	13
1.11 संसद प्रश्न	13
1.12 सतर्कता/अनुशासनात्मक मामले	13
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की गतिविधियाँ	14
2.1 विनियम	14
2.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एआरआर और टैरिफ निर्धारण पर जन सुनवाई	14-16
2.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण	17-18
2.4 जेईआरसी क्षेत्राधिकार के तहत विद्युत उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण पैरामीटर	19-20
2.5 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	21
2.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान याचिकाओं की स्थिति	22
2.7 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय	23-25
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	26-31
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग के वार्षिक खाते	32-54
5. आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना का विवरण	55
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 का कार्यसूची	55
अनुलग्नक	
अनुलग्नक-1:- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का विवरण	56
अनुलग्नक-2:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई/अन्य सुनवाई का विवरण	57-60
अनुलग्नक-3:- दिनांक 31.03.2023 तक अधिसूचित विनियमों की सूची	61-62

संक्षिप्तियां

एसीओएस	आपूर्ति की औसत लागत
एआरआर	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीआरएफ	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
डीएनएचडीडीपीसीएल	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विद्युत निगम लिमिटेड
डीएनएचडीडीपीडीसीएल	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ईडी	विद्युत विभाग
एफओआईआर	भारतीय विनियामकों का मंच
एफओआर	विनियामकों का मंच
एफपीपीसीए	ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
गोआई	भारत सरकार
आईएसएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
एममोयू	समझौता ज्ञापन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
पीएफसी	विद्युत वित्त निगम
पीपीसीएल	पुडुचेरी विद्युत निगम लिमिटेड
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएफसी	विद्युत वित्त निगम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय दायित्व
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएसी	राज्य सलाहकार समिति
एसईसीआई	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
एसआरपीसी	दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति
टी एंड डी	पारेषण एवं वितरण
डबल्यूआरपीसी	पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति



आलोक टंडन
अध्यक्ष

मुझे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) की वार्षिक रिपोर्ट का पंद्रहवां संस्करण प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

जेईआरसी (वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी) नियम, 2010 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 एवं 105 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा वर्ष के लेखा खातों का सारांश शामिल है। तदनुसार यह रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है।

आयोग ने अगस्त 2008 से काम करना शुरू किया और तब से यह गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण विद्युत विनियामक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आयोग ने विद्युत क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, विद्युत उपयोग्यताओं के प्रदर्शन और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने तीन ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों यानी विद्युत विभाग-दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन), विद्युत विभाग-दमन और दीव (ट्रांसमिशन) और डीएनएचडीपीडीसीएल (टोरेट पावर लिमिटेड के संबंध में एआरआर और टैरिफ आदेश जारी किए हैं; वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पाँच (05) वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और गोवा राज्य और एक उत्पादन कंपनी अर्थात् पुडुचेरी विद्युत निगम लिमिटेड।

डीएनएचडीपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर उपर्युक्त उपयोग्यताओं के लिए सभी टैरिफ आदेश अधिनियम के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर यानी 31 मार्च, 2023 से पहले जारी किए गए थे। डीएनएचडीपीडीसीएल (टोरेट पावर लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) जिसने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में वितरण व्यवसाय संभालने के बाद एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ याचिका प्रस्तुत की थी, हालांकि, एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी नहीं थी। इसलिए आयोग ने डीएनएचडीपीडीसीएल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण के लिए संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ आदेश जारी करने में थोड़ी देर हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अधिकांश लाइसेंसधारियों की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा भी की गई।

आयोग हमेशा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास और ग्रिड के साथ इसके प्रभावी और संतुलित एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रहा है। भारत सरकार की हरित पहलों को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वतः सुनवाई आयोजित करके और उपयोज्यताओं से अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह करके क्षेत्रों में सभी वितरण उपयोगिताओं के नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

उपभोक्ता का हित हमेशा आयोग के लिए प्राथमिक रहा है। आयोग ने स्वतंत्र लोकपाल और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आयोग ने सभी वितरण उपयोज्यताओं को उप-विभाजन, प्रभाग, सर्कल, जोन, कंपनी स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त सीजीआरएफ बनाने का भी निर्देश दिया है। आयोग विद्युत (उपभोक्ता का अधिकार) नियम, 2020 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन नियमों के अनुरूप सीजीआरएफ और लोकपाल विनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में भी है।

विद्युत क्षेत्र में एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आयोग परामर्शी प्रक्रिया का पालन करता है, सार्वजनिक सुनवाई और राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से उपभोक्ता संगठनों, उद्योग संघों, विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों और उपयोगिताओं के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर लगातार चर्चा करता है।

अंत में, मैं आयोग की ओर से इस अवसर पर उत्पादक कंपनियों, पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के प्रति उनके अथक सहयोग के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिससे आयोग को समय पर तर्कसंगत, संतुलित टैरिफ आदेश निर्धारित करने में मदद मिली। यह गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत क्षेत्र के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सभी हितधारकों, उपभोक्ताओं और आम जनता से निरंतर समर्थन की आशा करता है। इस टिप्पणी के साथ, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयोग की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(आलोक टंडन)
अध्यक्ष

1. संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन

1.1 आयोग

केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन मुख्यालय के साथ दिल्ली में किया जिसे 'केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के रूप में जाना जाता है, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 के अधिसूचना संख्या 23/52/2003 – आर एंड आर में अधिसूचित है। बाद में, गोवा राज्य के शा. मिल होने के साथ ही आयोग को 'गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के रूप में जाना जाने लगा, जैसा कि 30 मई, 2008 के अधिसूचना संख्या 23/52/2003 – आर एंड आर (खंड II) द्वारा अधिसूचित है। गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में, आयोग का कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिला शहर में एक किराए की भवन में स्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नियामक प्रक्रिया को लगातार आगे भी जारी रखने का प्रयास किया है। आयोग की पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है।

आयोग के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के उद्देश्य से वही शक्तियां हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को यह पूर्ण अधिकार है कि वह कंपनियों और लाइसेंसधारियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर अधिनिर्णय दे या मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ(थों) को मनोनीत करे और उनका समाधान करे।

1.2 आयोग के कार्य

अधिदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करना और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, बिजली टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन करना और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ-साथ विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खुले, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्धी, बाजार चालित वातावरण में विद्युत क्षेत्र के विकास के अनुकूल एक सक्षम ढांचा भी तैयार करना है। इस संदर्भ में विद्युत अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों को साकार करने के लिए आयोग की भूमिका निर्णायक है।

आयोग को सौंपे गए कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में दक्ष और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विद्युत प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखती है, सस्ती दरों पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है तथा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को उचित सौदा प्रदान करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता के

सिद्धांतों से निर्देशित होते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करती है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के तहत निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

- क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर बिजली, थोक बिक्री, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन, आपूर्ति, ट्रांसमिशन और परिवहन के लिए टैरिफ का निर्धारण;
बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को खुली उपलब्धता प्रदान की गई हो, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल परिवहन शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;
- ख) बिजली की खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद संबंधी समझौतों के माध्यम से जिस मूल्य पर बिजली को उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से खरीदा जाएगा, शामिल होगा;
- ग) बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और परिवहन की सुविधा;
- घ) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर उनके प्रचालनों के संबंध में लाइसेंस जारी करना;
- ङ) किसी भी व्यक्ति को बिजली की ग्रिड और बिक्री के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, किसी वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत निर्दिष्ट करना;
- च) लाइसेंसधारियों, और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना;
- छ) इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना;
- ज) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड का उल्लेख करना;
- झ) लाइसेंसधारियों द्वारा गुणवत्ता, निरंतरता और सेवा की विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना;
- ट) यदि आवश्यक हो, तो बिजली की अंतर-राज्यीय ट्रेडिंग में ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण करना;
- ठ) इस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना;

अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निम्नलिखित सभी मामलों में या किसी एक मामले पर सलाह देगा:-

- i) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना;
- ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;
- iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना;
- iv) बिजली के उत्पादन, पारेक्षण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को संदर्भित अन्य कोई मामला।

धारा 86(3) के अनुसार, आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और, धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति द्वारा निर्देशित होगा।

1.3 आयोग के सदस्यों का जीवन-वृत्त

वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1.3 (i) अध्यक्ष



श्री आलोक टंडन
अध्यक्ष

श्री आलोक टंडन, आईएएस (सेवानिवृत्त) आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 31 मार्च 2023 से जेईआरसी (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है।

श्री टंडन, आईआईटी-कानपुर (1984 बैच) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (बी.टेक.) हैं और राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक के प्राप्तकर्ता हैं। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (2006) से लोक-नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ता हैं और वह विश्व बैंक के रॉबर्ट एस. मैकनामारा फेलोशिप से भी सम्मानित हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएच.डी. भी किया है। उन्हें वर्ष 2010 में यूके विदेश, सामान्य धन एवं विकास कार्यालय द्वारा शेवेनिंग गुरुकुल छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था।

श्री आलोक टंडन 1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और उन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया। उन्होंने यूपी सरकार में यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष-सह-सीईओ और बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास आयुक्त सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री टंडन भारत सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अक्टूबर, 2011 से जून, 2016 तक) और खान मंत्रालय में सचिव (जनवरी, 2021 से सितंबर, 2022 तक) के रूप में काम किया है।

1.3 आयोग के सदस्यों का जीवन-वृत्त



श्रीमती ज्योति प्रसाद
सदस्य (कानून)

श्रीमती ज्योति प्रसाद ने 06/12/2021 को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (विधि) के रूप में पदभार संभाला।

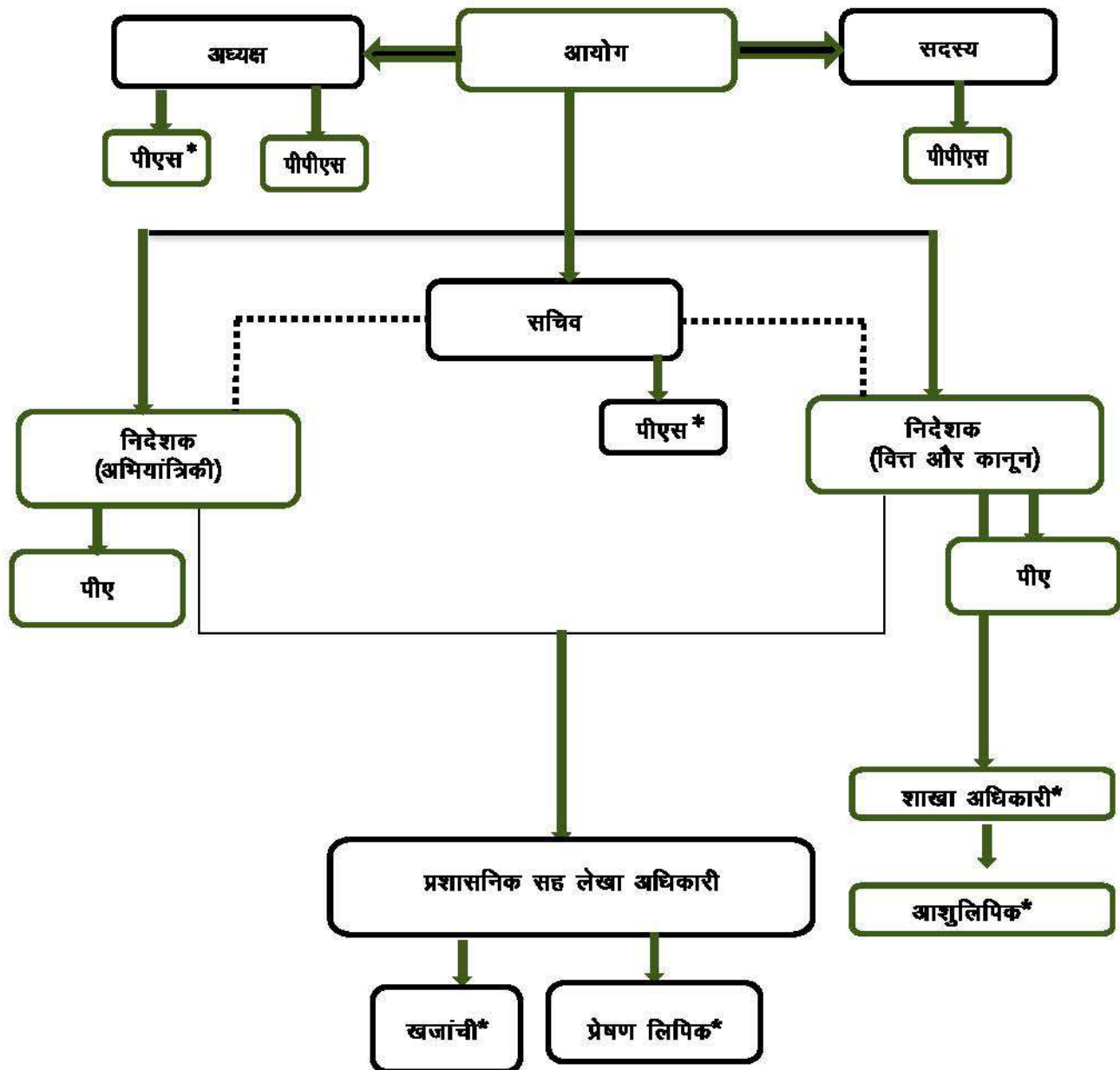
श्रीमती ज्योति प्रसाद दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान और विधि स्नातक हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करती थीं। गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जेईआरसी में शामिल होने से पहले, उन्होंने 28 से अधिक वर्षों तक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेवा की थी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मध्यस्थता से संबंधित मामलों, संविदा कानूनों, सेवा कानूनों, विनियामक और सलाहकार मुद्दों से निपटने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट केंद्र में विभिन्न विभागों के सलाहकार मुद्दों को निपटाने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्रीमती प्रसाद ने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पोसोको) में भी काम किया और सीईआरसी के सभी नियमों के साथ-साथ आरएलडीसी सहित पोसोको के विनियामक मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू), ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी, और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ओपन एक्सेस से संबंधित सभी विनियामक मामलों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सीईआरसी, एपीटीईएल, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामलों को भी संभाला है।

श्रीमती प्रसाद के पास अक्षय ऊर्जा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों सहित विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव है, उन्होंने कनेक्टिविटी प्रदान करने और ट्रांसमिशन सिस्टम तक खुली पहुंच से संबंधित मामलों में सीईआरसी में विनियमों को तैयार करने की दिशा में बहुमूल्यवान योगदान दिया जिसमें सीईआरसी द्वारा विनियमों को तैयार करने की दिशा में योगदान करना शामिल है।

1.4 आयोग की संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर संगठन चार्ट नीचे दर्शाया गया है:-



* पदों को समाप्त कर दिया गयाय तथापि, पदों के सृजन/पुनरुद्धार का कार्य जेईआरसी के पत्र सं JERC/AC&I/1/2022&23 (614) दिनांक 22.02.2023 के माध्यम से एमओपी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

1.5 आयोग का कार्यालय

आयोग अपने व्यवसाय के संचालन एवं सुनवाई सुविधाओं के संचालन के लिए उपयुक्त सम्मेलन कक्ष, न्यायालय कक्ष के साथ प्लॉट नंबर 55-56, तीसरी और चौथी मंजिल, उद्योग विहार-IV, सेक्टर -18, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक किराए के परिसर के माध्यम से कार्य कर रहा है।

1.6 जन सुनवाई

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने अपने समक्ष लाए गए मामलों को हल करने के लिए 21 सार्वजनिक और अन्य सुनवाई आयोजित की, जिसका विवरण अनुलग्नक-2 में रखा गया है।

1.7 वेबसाइट

आयोग के कार्यालय में कंप्यूटर प्रणाली लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर प्रणाली किसी भी संदर्भ जानकारी तक पहुँच के लिए उपयोगी है। आयोग की अपनी वेबसाइट अर्थात् www.jercuts.gov.in है जिसका नियमित रूप से इसके सचिवालय द्वारा रखरखाव और अद्यतन किया जाता है। आयोग की वेबसाइट को अधिक इंटरैक्टिव ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया जा रहा है।

वेबसाइट का उपयोग सुनवाई कार्यक्रमों, समाचारों, अद्यतनों, विनियमों/याचिकाओं पर टिप्पणियां आमंत्रित करने वाले नोटिस, आयोग के अधिसूचित विनियमों और आदेशों आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों और लोकपाल के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है और उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मार्गदर्शन करता है।

1.8 डिजिटल कार्यस्थल: ई-ऑफिस कार्यान्वयन

आयोग के कार्यालय को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। ई-ऑफिस कार्यान्वयन ने आयोग में पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को बढ़ाया है। गुणवत्ता की जिम्मेदारी और निर्णय लेने में तेजी की निगरानी करना आसान है। यह जवाबदेही को बढ़ाने में मदद करता है तथा डेटा सुरक्षा और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है।

1.9 प्रशिक्षण

आयोग के कर्मचारी बिजली क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं में भाग लिया गया:

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विवरण/कार्यशाला	के द्वारा आयोजित किया गया	इतने की संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया	प्रशिक्षण की तारीख
1.	'विद्युत क्षेत्र विनियमन: सिद्धांत और व्यवहार' पर विनियामक प्रमाणन कार्यक्रम (आरसीपी)	सेंटर फॉर एनर्जी रेगुलेशन (सीईआर), आईआईटी कानपुर	01	29.05.2022 से 12.06.2022
2.	सर्टिफिकेट कोर्स पर – “विनियामक शासन”	स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेगुलेशन एफओआईआर के सहयोग से	02	09.07.2022 से 08.10.2022
3.	ईएटी (व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण) – धन की प्राप्ति की प्रक्रिया, व्यय अग्रिम दाखिल करना और निपटान और संस्थान/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निचली एजेंसी को धन का हस्तांतरण	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	03	03.08.2022
4.	टीएसए-आरबीआई के माध्यम से धन को रूट करने की प्रक्रिया और डीएससी, प्रक्रियात्मक 3 क्या करे और क्या न करे के उपयोग पर संवेदीकरण	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	03	12.08.2022
5.	डीबीटी-विन्यास और विभिन्न तरीकों से डीबीटी का भुगतान	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	03	25.08.2022
6.	'नवीकरणीय ऊर्जा: अर्थशास्त्र, नीति और विनियमन' पर विनियामक प्रमाणपत्र कार्यक्रम	सेंटर फॉर एनर्जी रेगुलेशन (सीईआर), आईआईटी कानपुर	01	07.11.2022 से 23.11.2022
7.	'विनियामक शासन में परिवर्तन और चुनौतियां' पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान, कॉरपोरेट मंत्रालय में एफओआईआर केंद्र के साथ भारतीय विनियामकों का मंच (एफओआईआर)	02	13.12.2022 से 15.12.2022
8.	तीन महीने के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का पांचवां बैच – “विनियामक शासन”	स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेगुलेशन एफओआईआर के सहयोग से	03	19.02.2023 to 18.05.2023

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए आयोग के पास एक आरटीआई प्रकोष्ठ है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत पंद्रह (15) आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर निपटाया गया था।

1.11 संसद के प्रश्न

वर्ष के दौरान, आयोग ने संसद सत्रों के दौरान विद्युत क्षेत्र से संबंधित उठाए गए 25 सवालों/प्रश्नों के उत्तर दिये हैं।

1.12 सतर्कता/अनुशासनात्मक जांच

वर्ष के दौरान सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 में निहित नियमों के अनुसार दो (02) अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की गतिविधियाँ

2.1 विनियम

वर्ष 2022-23 के दौरान, निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया गया:-

- (1) गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण और वितरण में संयोजकता और खुली पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 20.05.2022 को अधिसूचित किया गया।
- (2) गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2019 की प्रयोज्यता को दिनांक 23.08.2022 के आदेश के माध्यम से 23 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

2.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एआरआर और टैरिफ निर्धारण पर सार्वजनिक सुनवाई

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण पर कुल 9 सार्वजनिक सुनवाई, वर्चुअल मोड और भौतिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। जन सुनवाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	याचिका क्रमांक	याचिककर्ता	तथ्य	सुनवाई की तिथि
1.	88/2022	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)	वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादन टैरिफ का निर्धारण	24.02.2023
2	91/2022	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.02.2023 (वर्चुअल सुनवाई)
3	92/2022	विद्युत विभाग- दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली (ट्रांसमिशन प्रभाग)	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	28.02.2023 (वर्चुअल सुनवाई)
4	93/2022	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ का निर्धारण	02.03.2023 (वर्चुअल सुनवाई)
5	94/2022	विद्युत विभाग दमन और दीव	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का निर्धारण और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	02.03.2023 (वर्चुअल सुनवाई)
6	95/2022	विद्युत विभाग, गोवा	वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की मंजूरी, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण	15.02.2023
7	96/2022	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	24.02.2023
8	97/2023	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	07.03.2023 & 10.03.2023
9	99/2023	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2020-21 के टू-अप और वित्त वर्ष 2021-22 के टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ के निर्धारण के लिए मंजूरी	17.03.2023

जन सुनवाई की कुछ झलकियाँ नीचे दी गई हैं:-

1. विद्युत विभाग-गोवा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण पर सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 15.02.2023 को आयोजित की गई।



2. ईडी-गोवा में सार्वजनिक सुनवाई के बाद मीडिया को जवाब देते हुए माननीय आयोग



3. विद्युत विभाग-पुडुचेरी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण पर सार्वजनिक सुनवाई 24.02.2023 को आयोजित की गई



4. चंडीगढ़ के एक जागरूक उपभोक्ता ने चंडीगढ़ में 17.03.2023 को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान टैरिफ निर्धारण से संबंधित अपनी चिंता व्यक्त की।



2.3 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

वर्ष के दौरान, आयोग ने टैरिफ आदेश जारी किए, जिसमें पिछले वर्षों के लिए भुगतान, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में संशोधन और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपयोगिताओं के लिए टैरिफ का निर्धारण शामिल है।

डीएनएचडीडीपीसीएल को छोड़कर सभी प्रशुल्क आदेश समय-सीमा के भीतर जारी किए गए थे। डीएनएचडीपीडीसीएल द्वारा प्रशुल्क याचिका दायर करने में विलंब के कारण डीएनएचडीपीडीसीएल के प्रशुल्क आदेश को जारी करने में विलंब हुआ है। डीएनएचडीडीपीसीएल ने शुरू में एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ याचिका प्रस्तुत की थी, हालांकि, एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी नहीं थी और इसलिए, आयोग ने डीएनएचडीडीपीसीएल को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण के लिए संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी करने में देरी हुई।

आयोग द्वारा जारी किये गये ट्रू-अप ऑर्डर, टैरिफ ऑर्डर का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	याचिका क्रमांक	याचिककर्ता	तथ्य	सुनवाई/ जन सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
1	64/2021	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ट्रू-अप	21.01.2022 वर्चुअल सुनवाई	10-05-2022
2	85/2022	विद्युत विभाग, गोवा	वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू-अप	22.11.2022 वर्चुअल सुनवाई	28-03-2023
3	88/2022	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)	वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादन टैरिफ का निर्धारण	24-02-2023	28-03-2023
4	91/2022	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.02.2023 वर्चुअल सुनवाई	28.03.2023
5	92/2022	विद्युत विभाग- दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली (ट्रांसमिशन प्रभाग)	वित्त वर्ष 2021-22 का ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	28.02.2023 वर्चुअल सुनवाई	30.03.2023

6	93/2022	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ का निर्धारण	02.03.2023 वर्चुअल सुनवाई	30.03.2023
7	94/2022	विद्युत विभाग, दमन और दीव	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का निर्धारण और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	02.03.2023 वर्चुअल सुनवाई	30.03.2023
8	95/2022	विद्युत विभाग, गोवा	वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की मंजूरी, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण	15-02-2023	30-03-2023
9	96/2022	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	24-02-2023	30-03-2023
10	97/2023	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	07.03.2023 & 10.03.2023	28-03-2023
11	99/2023	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2020-21 के टू-अप और वित्त वर्ष 2021-22 के टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ के निर्धारण के लिए मंजूरी	17-03-2023	30-03-2023
12	89/2022	डीएनएच और डीडी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वित्त वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व आवश्यकता, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण की समीक्षा।	10.05.2023 – सिलवासा और दमन – 12.05.2023 (दीव)	01.08.2023

2.4 जेईआरसी क्षेत्राधिकार के तहत बिजली वितरण उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण पैरामीटर

जेईआरसी क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेशों के महत्वपूर्ण पैरामीटर (2022-23)							
प्रदेशों							
विषय	डीएनएच	डीडी	पुद्दुचेरी	लक्षद्वीप	गोवा	ए-एन द्वीप समूह	चंडीगढ़
सकल ऊर्जा बिक्री (एम यू)	6923.89	2563.66	2826.36	57	4241.87	277.19	1536.24
घरेलू (%)	2.68%	6.13%	29.25%	76.50%	32.68%	58.88%	51.95%
व्यवसायिक (%)	0.56%	1.84%	7.43%	6.38%	14.32%	23.58%	26.47%
वाणिज्यिक (%)	96.46%	91.58%	60.33%	2.54%	50.45%	4.16%	15.19%
कृषि (%)	0.07%	0.13%	2.18%		0.79%	0.66%	0.10%
अन्य (%)	0.22%	0.30%	0.79%	14.54%	1.76%	12.72%	6.29%
अधिकतम माँग (एमडबल्यू) (22-23)	1,243		501	12	718	62	407
उपभोगता की कुल संख्या	94881	65826	510523	26914	721405	148740	2,36,654
कुल कनेक्टेड लोड (Kw)	1502738	803084	1331738	125247	3263959	383154	1686035
टी और डी हानी %	3.20%	3.77%	11%	11.25%	10.25%	15.91%	8.80%
वित्तीय पैरामीटर							
सकल आवश्यक राजस्व (रु. करोड़)							
बिजली खरीद लागत आरपीओ सहित	3448.38	1253.72	1344.36	128.92	1839.53	712.05	649.94
संचालन एवं रखरखाव लागत	41.12	44.55	156.84	47.55	433	226.03	115.08
नेट एआरआर	3580.88	1332.14	1606.46	187.14	2408.15	995.72	793.81
मौजूदा टैरिफ पर राजस्व	3530.78	1259.57	1569.05	26.47	1992.53	195.35	796.44
स्टैंडलोन अंतर/ (सरप्लस)*	50.1	72.57	37.41	160.67*	415*	779.5*	(2.63)
पिछले वर्ष के अंतर (अधिशेष) को आगे बढ़ाए	64.22	59.03	388.59	0	0	0	(252.34)
टैरिफ संशोधन (%)	3.49%	6.58%	2.38%	13.40%	1.58%	2.10%	-0.1%
संशोधित टैरिफ पर अतिरिक्त राजस्व	123.31	82.89	37.39	3.55	31.48	20.87	(1.10)

विनियामक अधिभार		59.03	80.32				0
समापन अंतर/ अधिशेष	(1.86)	(2.69)	336.16	0	0	0	(274.12)
टैरिफ सारांश (रु./इकाई)							
आपूर्ति की औसत लागत	5.17	5.2	5.68	32.83	5.68	35.92	5.17
औसत बिलिंग दर	5.28	5.24	5.68	5.27	4.77	7.8	5.18
ईवी वाहनों के लिए टैरिफ	4.9	4.9	4.5	6	3.5	7.8	3.6
अनुमोदन टैरिफ पर एबीआर (रु./इकाई)							
घरेलू	2.61	2.61	3.55	3.71	2.87	4.68	4.58
वाणिज्यिक	4.43	4.39	7.65	9.99	5.71	12.88	6.01
औद्योगिक	5.35	5.49	5.09	11.86	5.68	10.84	5.74
कृषि	1.02	0.92	1.11		2.26	1.94	2.60
अन्य	6.53	4.8	8.63	10.22	6.23	12.46	5.29
एबीआर% के ए एसीओएस	102%	101%	100%	16%	84%	22%	100%
घरेलू	50.5%	50.2%	62.5%	11.3%	50.5%	13.03%	89%
वाणिज्यिक	85.7%	84.4%	134.7%	30.4%	100.5%	35.86%	116%
औद्योगिक	103.5%	105.6%	89.6%	36.1%	100.0%	30.18%	111%
कृषि	19.7%	17.7%	19.5%	0.0%	39.8%	5.40%	50%
*स्टैंडअलोन गैप/सरप्लस को सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है।							

2.5 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसार जेईआरसी ने वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, विद्युत उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र में शैक्षिक और अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों से मिलकर एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अधिदेश है:

- नीति के प्रमुख प्रश्न;
- लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
- लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंस की शर्तों और आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;
- उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
- बिजली की आपूर्ति और उपयोगिताओं द्वारा प्रदर्शन के समग्र मानक।

आयोग ने दिनांक 29.03.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेईआरसी मुख्यालय, गुरुग्राम में वर्ष के दौरान एसएसी की एक बैठक (18 वीं बैठक होने के नाते) का आयोजन किया।

29.09.2023 को आयोजित एसएसी की बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

वित्त वर्ष 2022-23 में जेईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं	संशोधन के साथ विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम, 2020
विद्युत क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि

दिनांक 29.03.2023 को आयोजित 18वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	सुश्री ज्योति प्रसाद सदस्य (विधि), जेईआरसी	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री एस.डी. शर्मा सचिव (स्वतंत्र प्रभार), जेईआरसी	पदेन सचिव
3.	डॉ. एच.एल. बजाज पूर्व सदस्य, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
4.	श्री राजेश कुमार मेदिरत्ता एमडी और सीईओ इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) एच8एफ7 जे2डबल्यू, आईजीएक्स मैक्स टावर्स, नोएडा	सदस्य
5.	श्री मारिया जी. दुरईराज एच नंबर. 918-17-01, सोकोरु पंचायत कार्यालय के सामने, पोखोरियम, बारडेक्स तालुका, गोवा	सदस्य
6.	श्री सुनील इजारी सिलवासा इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	सदस्य

2.6 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार याचिकाएं	10
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त याचिकाएं	22
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल याचिकाएं	32
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाई गई याचिकाएं	26
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार याचिकाएं	06
31.03.2023 तक लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:-	

क्र. सं.	याचिका सं.	याचिकाओं की विषय वस्तु	याचिकाकर्ता/ याचिका कर्तार्यें
1	84/2022	2 मेगावाट/1 मेगावाट बीईएसएस के साथ 4 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र से टैरिफ के अनुमोदन और बिजली की खरीद के लिए याचिका।	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन
2	86/2022	मायाबंदर में 33 केवी पारेषण और वितरण प्रणाली को चौबीसों घंटे आधार पर 1.2 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते के अनुमोदन के लिए याचिका, जिसमें 1.6 मेगावाट (शाम 05:00 बजे से रात 10:00 बजे) का शाम का पीक लोड और 1.5 मेगावाट का औसत दिन और इवनिंग लोड शामिल है, जिसमें तीन साल की अवधि के लिए प्रति माह 5.2 लाख यूनिट उत्पादन की गारंटी है। बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, पोर्ट ब्लेयर - 744101, और मेसर्स मोना जेनरेटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आई-ए, बेसमेंट, 30-31, राजा हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 के बीच	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन
3	87/2022	विद्युत विभाग के बीच तीन साल की अवधि के लिए 2.92 एमयू प्रति माह की न्यूनतम गारंटेड यूनिट डिलीवरी के साथ बैबूपलैट में बिजली विभाग के 33 केवी ग्रिड को लगातार 5 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी के लिए याचिका, जो भी पहले हो, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, पोर्ट ब्लेयर- 744101, और मेसर्स अग्रेको एनर्जी रेंटल प्राइवेट लिमिटेड, चौबर्स, कार्यालय संख्या 501, प्लॉट नंबर 4/12/13, विमान नगर, पुणे।	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन
4.	89/2022	वित्त वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व आवश्यकता, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण की समीक्षा।	डीएनएच और डीडी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5.	100/2022	फीनिक्स बे पावर हाउस कॉम्प्लेक्स में विद्युत विभाग के 33 केवी ग्रिड को तीन साल की अवधि के लिए या 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट के चालू होने तक प्रति माह 2.92 मेगावाट की न्यूनतम गारंटीकृत यूनिट डिलीवरी के साथ 5 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी के लिए याचिका। विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन और मेसर्स सुधीर रेडी जेनसेट कंसोर्टियम के बीच जो भी पहले हो।	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन
6.	101/2022	विद्युत विभाग के बीच बैबूपलैट स्थित बिजली विभाग के 33 केवी ग्रिड को लगातार 5.84 एमयू की गारंटीड यूनिट डिलीवरी के साथ 10 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते को मंजूरी देने के लिए याचिका। अंडमान और निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, पोर्ट ब्लेयर-744101, और मेसर्स सुधीर सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर -34, ईएचटीपी गुरुग्राम हरियाणा- 122001	बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन

2.7 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42(5) में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (6) में लोकपाल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या नामित किया जाना है। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायत का समाधान न होने से पीड़ित है, लोकपाल को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अभ्यावेदन कर सकता है।

गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019 नामक विनियम अधिसूचित किए हैं। ये गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश उपलब्ध कराते हैं। ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण लाइसेंस/विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास अधिकार है कि वह धारा 126 और 127 (बिजली का अनधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी तथा अपराध एवं दंड), और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत धारा 161 (दुर्घटना की सूचना आदि) को छोड़कर, अपने वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करे।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी के उप-क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखी जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपनी सूचना एवं जानकारी के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2022-23 के दौरान सभी सीजीआरएफ के कामकाज की स्थिति रिपोर्ट नीचे सारणीबद्ध है:

1. सीजीआरएफ गोवा

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
0	42	42	38	04	—	24

2. सीजीआरएफ—चंडीगढ़

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
23	174	197	165	32	—	31

3. सीजीआरएफ—अंडमान और निकोबार

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
10	28	38	26	12	07	36

4. सीजीआरएफ—लक्षद्वीप

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
0	4	4	4	0	—	4

5. सीजीआरएफ—दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
04	01	05	05	0	—	18

6. सीजीआरएफ—पुडुचेरी

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
19	219	238	226	12	—	113

आयोग द्वारा 'उपभोक्ता हितों का संरक्षण' पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं के लिए सीजीआरएफ के सदस्यों को नियमित रूप से नामित किया जाता है। सीजीआरएफ के निम्नलिखित सदस्यों और विद्युत लोकपाल ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित 3-4 नवंबर, 2022 के दौरान 'उपभोक्ता हित का संरक्षण' पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था:—

क्र. सं.	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सीजीआरएफ—गोवा	श्रीमती सैज़ा वाज ई कोरिया	स्वतंत्र सदस्य
2.	सीजीआरएफ—चंडीगढ़	श्री राजिन्दर सिंह मोर	सदस्य (लाइसेंसधारी)
3.	सीजीआरएफ—पुडुचेरी	श्री आर कृष्णमूर्ति	स्वतंत्र सदस्य
4.	सीजीआरएफ—लक्षद्वीप	श्रीमती सुनीधा इस्माइल केआरबी	स्वतंत्र सदस्य
5.	विद्युत लोकपाल	श्री एम.पी. सिंह वासल	लोकपाल

विद्युत लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या का समाधान न किए जाने से असंतुष्ट है, अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात् उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसे व्यापक प्रचार के लिए सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों को भी भेजा गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष कुल 24 अभ्यावेदन/अपीलें (2 लंबित अपील सहित) दायर की गईं। कुल 24 अपीलों में से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 22 अपीलों का निपटान किया गया।

वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत के दौरान 02 अपीलें लंबित थीं और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 31 अभ्यावेदन/अपील स्वीकार किए गए थे। कुल 33 अपीलों में से 29 अपीलों का वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निपटान किया गया।

पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीने से अधिक पुरानी है	वर्ष में बैठकों की संख्या
02	31	33	29	04	—	26

3. SEPARATE AUDIT REPORT ON ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2022-23



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

दिनांक:

सेवा में,

सचिव,
विद्युत मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली - 110001

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के वार्षिक लेखा का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं, वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी), गुरुग्राम का वार्षिक लेखा के साथ-साथ वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ।

आयोग द्वारा अपनाए जाने के बाद पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की दो प्रतियां कृपया इस कार्यालय को उस तिथि की सूचना के साथ अग्रेषित की जाएं, जिस तिथि को इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तनुसार

भवदीय

- sd -

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

पांचवा, छठा, सातवां, एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनेक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) का वार्षिक लेखा का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) की विद्युत अधिनियम, 2003 की पठित धारा 104(2) के तहत 31 मार्च 2023 तक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) की संलग्न वित्तीय स्थिति विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान खाते का लेखापरीक्षा किया है। जेईआरसी के प्रबंधन का दायित्व वित्तीय विवरण तैयार करना है। हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के लेखा व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो तो इनके वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है।
3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा के लिए एक योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है। हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:
 - i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ii. इस रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय स्थिति विवरण और आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान खाता विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया गया है और जेईआरसी द्वारा गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2016 के तहत अपनाया गया है।
 - iii. हमारे अभिमत के अनुसार, जेईआरसी द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र)

नियम, 2016 के तहत हमारे परीक्षण से यह पता चलता है की आवश्यक बही खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव किया गया है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. लेखा पर टिप्पणियाँ : शून्य

ख. अनुदान सहायता :

10.02 करोड़ की सहायता अनुदान में से (पिछले वर्ष से 0.05 करोड़ की अव्ययित प्रारंभिक शेष राशि और इस वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 9.97 करोड़ की राशि को मिलाकर), जेईआरसी वर्ष के दौरान 9.29 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर सका, जबकि शेष ₹ 0.73 करोड़ राशि 31 मार्च, 2023 तक अप्रयुक्त थी।

ग. प्रबंधन पत्र:

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षण में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, जेईआरसी के संज्ञान में लाया जाएगा।

v. पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित हमारे टिप्पणियों के तहत, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां और भुगतान खाता बही खातों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे अभिमत से और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिपाणियों के साथ पढ़े जाते हैं और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक कि यह 31 मार्च 2023 तक 'संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) के मामलों की राज्य की वित्तीय विवरण से संबंधित है; और

ख. जहां तक कि यह आय और व्यय खाते से संबंधित है, आय की अधिकता से अधिक, वर्ष के लिए व्यय उस तिथि पर समाप्त हो गया।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: नवंबर 2023

-sd-

भवदीय

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

क्रमांक : DGA(E) /Rep/01-167/Acs-JERC/2023-24/313.

दिनांक : 23-11-2023

प्रति अग्रेषित की गयी :

1. आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के साथ प्रतिलिपि "अध्यक्ष, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी व चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55-56, फेज - IV, उद्योग विहार, सेक्टर - 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122015" को अग्रेषित की गई।

संलग्नक: यथोपरि।

-sd-

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

अनुलग्नक
(पैरा 4 (VI) में संदर्भित)

1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	एमओपी के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है, जो मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	प्राप्तियों की निगरानी और भुगतान करने और उनके लेखांकन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र जेईआरसी की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3.	अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2022-23 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
4.	वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	31 मार्च 2023 तक भण्डारगृह में रखी गई उपभोग्य सामग्रियों की कोई स्टॉक सूची नहीं थी।
5.	उन पर लागू सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता।	जेईआरसी को जीएसटी से कोई छूट नहीं है। तदनुसार, इसे अपने अर्ध-न्यायपालिक कार्यों के अनुसरण में अपने राजस्व के अलावा जीएसटी कर लगाने, एकत्र करने और जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, यह जेईआरसी द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण जीएसटी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम देखा गया	कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं देखा गया है।
7.	वर्ष के दौरान चोरी, दुर्वनियोजन, धोखाधड़ी और गबन आदि के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति के नुकसान का विवरण	प्रबंधन ने प्रमाणित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया/सूचित नहीं किया गया।

भवदीय

-sd-

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)



क्रमांक : DGA(E) /Rep/01-167/ACS-JERC/2023-24/314.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi



दिनांक: 23-11-2023

सेवा में,

अध्यक्ष,
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग,
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55-56,
चरण - IV, उद्योग विहार,
सेक्टर-18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

विषय: प्रबंधन पत्र - लेखांकन रिकॉर्ड में कमियाँ पाई गई

महोदय,

हमने वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) के वार्षिक लेखा का लेखा परीक्षण किया है और दिनांक 23-11-2023 के पत्र के माध्यम से वार्षिक लेखा पर पृथक रूप से लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं जो अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की थीं और इसलिए उन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

1. भारत के सार्वजनिक लेखा के तहत जेईआरसी निधि का निर्माण एक गैर-व्यपगत और गैर-ब्याज वाले लेखा के रूप में जेईआरसी निधि (निधि के गठन और आवेदन का तरीका, बजट की तैयारी के लिए फॉर्म और समय) नियम, 2016 के तहत (डीएसएआर पैरा संख्या 1.1 मद संख्या. 2 प्रबंधन दिनांकित 10.11.2022। मद संख्या. 4 प्रबंधन दिनांकित 08.11.2021 और मद संख्या. 7 दिनांकित 14.01.2021) के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सकता है।
2. यह सुनिश्चित किया जाए कि एचएसआईआईडीसी को किराए का देय और भुगतान दोनों का मिलान हो और अगले वर्ष के दौरान आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। (डीएसएआर 2.1. मद संख्या. 3 प्रबंधन संख्या. 10.11.2022. मद संख्या. 2.2 प्रबंधन दिनांकित 08.11.2021, और मद संख्या. 6 प्रबंधन दिनांकित 14.01.2021)
3. राज्यसभा की कमेटी ऑन पेपर लेड की 150वीं रिपोर्ट की सिफारिश (मार्च 2017) में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों का पूरा खुलासा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (डीएसएआर पैरा नंबर 3.1)

भवदीय

-sd-

(संजय के. झा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

पांचवा, छठा, सातवां, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनेक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

4. आयोग के वार्षिक लेखा विवरण:-



संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) 2022-23 के वार्षिक लेखा विवरण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55-56

सेक्टर-18, उद्योग विहार फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

E-mail: secy.jercuts@gov.in

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु में)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएँ			
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	47,35,707	17,30,758
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	-	-
स्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	12,72,78,352	3,87,15,093
कुल		13,20,14,059	4,04,45,851
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ	8	18,47,700	23,73,121
निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश	9	-	-
अन्यों से निवेश	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि।	11	13,01,66,359	3,80,72,730
विविध व्यय (जिसे बड़े खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)		-	-
कुल		13,20,14,059	4,04,45,851
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ	25		
प्रकटीकरण लेखा समायोजन	26		

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से

()

हस्ता/-
(एएओ)

()

हस्ता/-
निदेशक (एफ एवं एल) &
सचिव (प्रभारी)

()

हस्ता/-
सदस्य (विधि)

()

हस्ता/-
अध्यक्ष

दिनांक : 26.07.2023

स्थान : गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

आय एवं व्यय खाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रु में)

विवरण	नोट सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	2,000	9,940
अनुदान/सब्सिडी	13	9,67,63,000	9,07,18,000
शुल्क/सदस्यता	14	28,96,85,751	22,41,86,868
निवेश से आय (निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय निधियों में हस्तांतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित व्यय	17	17,75,335	16,58,715
अन्य आय	18	58,37,206	56,40,119
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और चल रहे कार्य	19	-	-
कुल (क)		39,40,63,292	32,22,13,642
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,23,35,362	2,35,72,724
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	36,78,76,227	30,03,25,237
अनुदान और सब्सिडी पर व्यय	22	-	-
वित्तीय खर्च	23	-	-
मूल्यहास और परिशोधन	8	8,46,753	14,51,094
कुल (ख)		39,10,58,343	32,53,49,055
व्यय से अधिक आय की शेष राशि (क-ख) विशेष रिजर्व में हस्तांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें) सामान्य रिजर्व को / से हस्तांतरण		30,04,949	(31,35,413)
अधिशेष/(घाटा) के कारण बकाया कॉर्पस/पंजीगत निधि में अयोनीत		-	-
		30,04,949	(31,35,413)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा टिप्पणियाँ	25		
पकटन और समायोजन	26		

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से


हस्ता/
(एएओ)


हस्ता/-
निदेशक (एफ एवं एन) और
सचिव(प्रभारी)


हस्ता/-
सदस्य (विधि)


हस्ता/-
अध्यक्ष

दिनांक : 26.07.2023

स्थान : गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 1 - कॉर्पस/पंजीगत निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	17,30,758	1,84,13,117
जोड़: कॉर्पस/पंजीगत निधि में योगदान		-
घटाव: कॉर्पस/पंजी निधि से योगदान	-	(1,35,46,946)
जोड़ / (घटाव): (शुद्ध आय/व्यय की शेष राशि) आय और व्यय खाते से स्थानांतरित किया गया	30,04,949	(31,35,413)
कुल	47,35,707	17,30,758

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 2-रिजर्व और अधिशेष:		
1. पंजीगत रिजर्व:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		
अंतिम खाते के अनुसार	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
3. विशेष रिजर्व:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
4. सामान्य रिजर्व:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, घरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)

विवरण	कुल	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 3 - निर्धारित/ बंदोबस्ती शुल्क			
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-
ख) निधियों में जमा राशि:			
i. दान/अनुदान	-	-	-
ii. निधियों के खाते पर किए गए निवेश से आय	-	-	-
iii. अन्य जमा (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-
ग) उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
i. अचल परिसंपत्तियाँ	-	-	-
ii. अन्य	-	-	-
कुल	-	-	-
ii. राजस्व व्यय			
i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-
ii. किराया	-	-	-
iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-
कुल	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल बकाया (क + ख - ग)	-	-	-

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 4 - सुरक्षित लोन और उधार:		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण	-	-
i. प्रोद्भूत ब्याज और देयता	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
i. प्रोद्भूत ब्याज और देयता	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थानों	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	-	-

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएँ		
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

(हस्ताक्षर)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, धरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएँ और प्रावधान		
क. वर्तमान देयताएँ		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदारक		
क) वस्तुओं के लिये	-	-
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अशिम	-	-
4. प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं है		
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण / उधार	-	-
5. साविधिक देयताएँ		
क) जीएसटी टीडीएस	1,15,968	-
ख) स्रोत पर कर कटौती	8,68,972	55,879
ग) सीपीएफ/जीपीएफ/ईपीएफ/एनपीएफ/सीजीईआईएस	1,11,037	-
6. अन्य वर्तमान देयताएँ		
क) कर्मचारियों और अन्य लोगों को प्रतिपूर्ति	33,988	70,180
ख) कर्मचारियों को देय अन्य भत्ता	1,17,000	1,35,000
ग) प्रतिनियुक्तकर्ता का अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	48,565	-
घ) देय व्यय	56,84,042	79,80,439
ङ) ईएमडी और प्रतिधारण राशि	10,17,983	6,52,983
च) माननीय अध्यक्ष/सदस्य का सीपीएफ और देय ब्याज	6,64,566	1,53,159
छ) विद्युत मंत्रालय में जमा की जाने वाली लाइसेंस एवं याचिका शुल्क	11,14,47,098	2,55,59,995
ज) विद्युत मंत्रालय में जमा की जाने वाले लोकपाल व्यय के दावे	4,12,446	56,874
झ) नियमित कर्मचारियों का देय संचित अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी	26,44,828	23,79,751
कुल (क)	12,31,66,493	3,70,44,260
ख. प्रावधानों		
1. कराधान के लिए	-	-
2. प्रतिनियुक्तकर्ता की ग्रेच्युटी	84,055	-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावा	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
(i) लेखापरीक्षा शुल्क देय	28,76,900	15,25,670
(ii) समाचार पत्र एवं टेलीफोन व्यय	84,463	90,163
(iii) लौटाया जाने वाला याचिका शुल्क	55,000	55,000
(iv) प्रतिनियुक्तकर्ता का अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	3,61,103	-
(v) अन्य प्रशासनिक व्यय	6,50,338	-
कुल (ख)	41,11,859	16,70,833
कुल (क + ख)	12,72,78,352	3,87,15,093

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55-56, उद्योग विहार, घरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

अनुसूची 8 - अचल परिसंपत्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहात			नियत खंड			
	समाप्त/मूल्यांकन 01.04.2022 तक	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान निचटान	समाप्त/मूल्यांकन 31.03.2023 तक	01.04.2022 तक	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान की गई कटौती	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टा धारित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टा धारित भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) मालिकाना फ्लैट/ परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) जेईआरसी से असंबद्ध भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.संयंत्र, मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर और फिक्स्चर										
क. कार्यालय उपकरण	28,78,700	12,690	-	28,91,390	15,89,460	3,96,792	-	19,86,253	9,05,137	12,89,240
ख. कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण	39,86,133	3,08,642	-	42,94,775	35,98,884	2,24,734	-	38,23,618	4,71,157	3,87,249
ग. एसी और लकड़ी का काम	18,40,753	-	-	18,40,753	12,60,105	1,16,808	-	13,76,913	4,63,840	5,80,648
घ. पुस्तकालय की पुस्तकें	13,198	-	-	13,198	2,332	3,300	-	5,632	7,566	10,866
ङ. ट्यूब वेल और पानी की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	87,18,784	3,21,332	-	90,40,116	64,50,781	7,41,634	-	71,92,415	18,47,701	22,68,003
6.अमूर्त परिसंपत्तियां										
क. 365 दिनों से अधिक उपयोग वाला सॉफ्टवेयर	4,22,794	-	-	4,22,794	3,17,675	1,05,119	-	4,22,794	-0	1,05,119
कुल	4,22,794	-	-	4,22,794	3,17,675	1,05,119	-	4,22,794	-0	1,05,119
6. अन्य अचल संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल दिनांक 31.03.2022 तक	91,41,578	3,21,332	-	94,62,910	67,68,456	8,46,753	-	76,15,210	18,47,700	23,73,122

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से

(एएओ)

निदेशक (एफ एवं एन) और
सचिव (प्रभारी)

सदस्य (विधी)

अध्यक्ष

दिनांक: 26.07.2023

स्थान: गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)

विवरण	राशि	राशि
अनुसूची 9 - निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. अनुषंगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु- में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 10 - अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. अनुषंगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-

(हस्ताक्षर)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूधियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2023 तक शेष राशि	31.03.2022 तक शेष राशि
अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अशिमों आदि।		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. सूची:		
क) भंडार और अतिरिक्त पूर्ण	-	-
ख) खूले उपकरण	-	-
ग) बिक्री स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चल रहा कार्य	-	-
कच्ची समायी	-	-
2. विविध देनदार:		
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकद शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट और प्रीमियम सहित)	-	-
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खातों में	1,64,412	1,64,912
जमा खाते में (मार्जिन राशि सहित)	1,88,28,392	1,26,19,751
बचत खातों में	10,39,04,143	1,78,74,223
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खातों में	-	-
जमा खाते में	-	-
बचत खातों में	-	-
5. डाकघर - बचत खाते	-	-
6. सुरक्षा जमा (किराया)	64,12,974	64,12,974
7. टेलीफोन जमा राशि	10,000	10,000
8. लोकपाल व्यय के संबंध में प्राप्त दावे	16,045	56,875
8. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त ईपीएफ	71,684	-
कुल (क)	12,94,07,650	3,71,38,735
ख. ऋण, अशिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) कर्मचारी	-	-
ख) समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. ननकद या वस्तु में वसूला गया अशिम और अन्य राशि:		
क) पूंजीगत खाते में	-	-
ख) पूर्व भुगतान	6,47,143	8,19,829
ग) अन्य वसूली योग्य राशि	1,11,566	1,14,166
घ) कर्मचारियों और अन्य लोगों को अशिम	-	-
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश और अन्य पर	-	-
ग) ऋण और अशिम पर	-	-
घ) अन्य (इसमें देय अप्राप्त आय शामिल हैं - रु.....)	-	-
4. प्राप्त दावे	-	-
कुल (ख)	7,58,709	9,33,995
कुल (क + ख)	13,01,66,359	3,80,72,730

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, मुरुगाम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूधियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु- में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय		
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	2,000	9,940
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/ परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	2,000	9,940

(राशि रु- में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 13 - अनुदान/सम्बिडी		
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त सम्बिडी)		
1) केंद्र सरकार	9,67,63,000	9,07,18,000
2) राज्य सरकार	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्थान/ कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	9,67,63,000	9,07,18,000

(राशि रु- में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
क) याचिका शुल्क	4,09,46,076	4,17,15,513
ख) लाइसेंस शुल्क	24,87,39,675	18,24,71,355
कुल	28,96,85,751	22,41,86,868

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूधियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु. में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 15 - निवेश से आय		
(निधियों में हस्तांतरित निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर पर	-	-
2) लाभांश:		
क) शेयरों पर	-	-
बी) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3) किराया	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु. में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशनों से आय	-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
TOTAL	-	-

(राशि रु. में)		
विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	6,96,861	12,17,359
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) संस्थानों में	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	10,78,474	4,41,356
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) डाकघर बचत खाते में	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर		
क) कर्मचारी/कार्मिक	-	-
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	17,75,335	16,58,715

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, घरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूधियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 18 - अन्य आय		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	82,370
ख) अनुदान से या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवा और अन्य के लिए शुल्क	2,23,440	1,430
4) विविध आय		
क) रिटर्न प्रावधान	63,762	1,11,822
ख) टीडीएस रिफंड पर प्राप्त ब्याज	-	3,08,367
ग) निविदा प्रसंस्करण शुल्क	50,000	32,000
घ) पूर्व अवधि आय	-	1,349
5) लोकपाल व्यय के संबंध में दावे		
क) वर्तमान वर्ष	55,00,004	51,02,781
कुल	58,37,206	56,40,119

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 19 - तैयार समान के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		
क) अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	-	-
चल रहे कार्य	-	-
ख) घटाव : प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	-	-
चल रहे कार्य	-	-
निवल वृद्धि / (कमी)	-	-

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	1,03,24,344	1,09,88,755
ख) भत्ते और बोनस	71,43,096	69,27,330
ग) भविष्य निधि में अंशदान (ब्याज व्यय सहित)	2,48,114	1,63,726
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
i) केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	35,752	-
iii) कर्मचारी भविष्य निधि	11,85,362	12,08,660
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	6,20,197	10,80,532
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय	7,89,805	15,97,756
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) बाल शिक्षा भत्ता	1,17,000	1,35,000
ii) छुट्टी नकदीकरण	2,98,098	2,67,086
iii) छुट्टी यात्रा रियायत	1,88,525	11,372
iv) पूर्व अवधि के व्यय	48,565	2,400
v) विद्युत लोकपाल शुल्क और अन्य।	13,36,505	11,90,107
कुल	2,23,35,362	2,35,72,724

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, घरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2023 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) बिजली और ऊर्जा	14,16,418	13,12,529
ख) जल शुल्क	10,496	7,014
ग) मरम्मत और रखरखाव	-	-
घ) किराया, दरें और कर	2,74,30,032	2,75,91,964
ङ) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	4,88,046	4,85,029
च) मुद्रण और लेखन-सामग्री	5,56,305	4,78,502
छ) यात्रा और वाहन व्यय	1,07,589	70,534
ज) संगोष्ठी/ कार्यशालाओं/ बैठकों पर खर्च	-	-
झ) अंशदान खर्च	-	70,800
ञ) शुल्क खर्च	7,00,101	6,61,090
ट) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	9,77,620	9,40,570
ठ) पेशेवर शुल्क	93,35,007	78,79,850
ड) विज्ञापन और प्रचार	6,38,317	6,01,512
ढ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
(i) विद्युत मंत्रालय में जमा किया जाने वाला याचिका शुल्क, लाइसेंस शुल्क और ब्याज	29,15,45,093	22,56,16,287
(ii) विद्युत मंत्रालय में जमा किया जाने वाले लोकपाल व्यय के दावे	55,00,004	51,02,781
(iii) कार्मिकों की आउटसोर्सिंग	49,06,482	75,61,858
(iv) हाउसकीपिंग की आउटसोर्सिंग	8,53,748	10,16,520
(v) सुरक्षा कार्मिकों की आउटसोर्सिंग	7,51,291	8,22,107
(vi) विधि शुल्क	7,93,650	2,73,500
(vii) बैंक शुल्क	24	434
(viii) विद्युत लोकपाल पर व्यय	41,56,174	39,12,674
(ix) कार्यालय व्यय (विविध)	9,67,335	10,09,099
(x) परामर्श शुल्क	80,37,206	88,04,747
(xi) जन सुनवाई व्यय	14,17,048	-
(xii) किराए पर लिए गए वाहन का व्यय	23,58,290	17,77,340
(xiii) ई-ऑफिस सर्वर शुल्क	24,70,920	24,70,920
(xiv) सॉफ्टवेयर व्यय और वेबसाइट होस्टिंग शुल्क	2,87,787	4,71,821
(xv) विदेश यात्रा	15,63,582	-
(xvi) पूर्व अवधि के व्यय	6,07,662	13,85,755
कुल	36,78,76,227	30,03,25,237

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, चरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

(राशि ₹ में)

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 22 - अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 23 - वित्त बागत		
क) निश्चित लोन पर	-	-
ख) अन्य ब्याज लागत	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से

(एएओ)

निदेशक (एफ एवं एन) और
सचिव (प्रभारी)

सदस्य (विधी)

अध्यक्ष

दिनांक: 26.07.2023

स्थान : गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं० 55-56, सेक्टर-18, उद्योग विहार फेस-IV गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)

टिप्पणी सं. - 24

पृथक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कॉर्पोरेट और सामान्य सूचना

केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन 2 मई, 2005 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या सां.आ. 643 (v) के प्रकाशन द्वारा किया गया था य

और जबकि, गोवा राज्य सरकार उक्त संयुक्त आयोग में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के तहत केंद्र सरकार को अधिकृत किया तथा केंद्र सरकार ने दिनांक 30 मई, 2008 की सा. आ.1271 (v.) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) में अधिसूचना प्रकाशित करके गोवा राज्य को संयुक्त आयोग में शामिल होने सुविधा प्रदान की ।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 लेखाकार दिशानिर्देश

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत दिशानिर्देश के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए और यह लेखांकन की प्रोद्भूत विधि पर हो। सरकारी अनुदान/राजसहायता और लाइसेंस शुल्क और याचिका शुल्क की गणना प्राप्ति के आधार पर होती है। वित्तीय विवरण निकटतम रूपए तक पूर्णांकित भारतीय रूपए में प्रस्तुत किए गए।

1.2 मॉग सूची मूल्यांकन

संगठन के पास आज की तारीख तक कोई मॉग-सूचीस्टॉक नहीं है और एक नियामक आयोग होने के नाते, वह कोई भी स्टॉक या मॉग-सूची नहीं रखेगा ।

1.3 निवेश

- क) 'दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत निवेश, लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहन लागत करने में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट का प्रावधान किया गया है।
- ख) 'वर्तमान' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत और उचित मूल्य से कम पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए प्रत्येक निवेश के आधार पर किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।
- ग) लागत में ब्रोकरेज, हस्तांतरण स्टाम्पस जैसे अधिग्रहण खर्च शामिल होते हैं।

1.4 अचल परिसंपत्तियाँ

- क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख आवक भाड़े, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों की लागत पर किया गया है।

1.5 मूल्यहास

- क) आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी-रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के रूपांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले लागत समायोजन को छोड़कर, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों की अवशिष्ट आयु की तुलना में परिशोधित किया जाता है।
- ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में जमा/कटौती के संबंध में मूल्यहास पर यथानुपात आधार पर विचार किया जाता है।
- ग) प्रत्येक रु.5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

1.6 विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो और जब भी किया जाता है, उसे किए गए व्यय वाले वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के बाद बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

1.7 बिक्री के लिए लेखांकन

संगठन विद्युत मंत्रालय का एक विनियामक निकाय है और अपने प्रचालन की अवधि के दौरान इसने कोई बिक्री नहीं की।

1.8 सरकारी अनुदान/राजसहायता

- क) सरकार राजस्व का अनुदान देती है और उसे अप्रत्यक्ष आय के रूप में आय एवं व्यय लेखा में दर्ज किया जाता है।
- ख) सरकारी अनुदान/राजसहायता को प्राप्ति आधार पर दर्ज किया जाता है।

1.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- क) विदेशी मुद्रा में संप्रेशित लेन-देन को उसके होने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के हिसाब से दर्ज किया जाता है।
- ख) वर्तमान परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपत्तियों से संबंधित है तो परिणामी लाभ/हानि को अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में इसे राजस्व माना जाता है।

1.10 पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

1.11 सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर दिया जाता है।

1.12 लाइसेंस शुल्क/याचिका शुल्क

क) लाइसेंस और याचिका शुल्क को नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।

1.13 जीएसटी में टी.डी.एस

संगठन द्वारा विक्रेता की प्रत्येक भुगतान पर जीएसटी की कटौती करता है।
निम्नलिखित को सूचित है

- (क) पैरा 1.3—संगठन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विनियामक आयोग है। संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और याचिका शुल्क, आयोग की गतिविधियों के दौरान अल्पावधि सावधि जमा के रूप में निवेश किए जाते हैं और तत्पश्चात् संचित धनराशि को समय-समय पर विद्युत मंत्रालय में जमा कराया जाता है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष और सदस्यों के सीपीएफ अंशदान को अल्पकालिक सावधि जमा में निवेश किया जाता है और उनके सेवानिवृत्त होने पर उन्हें संबंधित देनदारियों/अंतिम लाभ के रूप में दिया जाता है।
- (ख) पैरा 1.6— चालू वर्ष में 5 वर्षों की अवधि में कोई स्थगित राजस्व व्यय बड़े खाते में नहीं डाला गया है।
- (ग) पैरा 1.9— नियामक आयोग होने के नाते संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं होता है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से



हस्ता/—
(एएओ)



हस्ता/—
(निदेशक (एफ एंड एल)
और (सचिव (प्रभारी)



हस्ता/—
(सदस्य विधि)



हस्ता/—
(अध्यक्ष)

दिनांक: 26.07.2023

स्थान: गुरुग्राम

टिप्पणी सं.- 25

आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 संस्था पर ऐसा कोई दावा नहीं है जिसे ऋण के रूप में स्वीकार किया गया हो।
- 1.2 संस्था द्वारा उसकी ओर से कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई है।
संस्था की ओर से बैंक द्वारा कोई साख-पत्र नहीं खोला गया है।
बैंकों के साथ छूट दिए गए कोई बिल नहीं हैं।
- 1.3 आयकर, माल और सेवा कर और या नगरपालिका कर के संबंध में कोई विवाद मांग नहीं है।
- 1.4 एचएसआईआईडीसी ने देय किराए के लिए 22.67 लाख रुपये का दावा किया है। इसे व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि अंतिम निपटान अभी भी लंबित है।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

पूँजीगत लेखा पर निष्पादित की जाने वाली कोई निविदा शेष नहीं है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. पट्टे की बाध्यताएँ

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए कोई भावी देयता नहीं है।

4. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम राशि का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है जो तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होना चाहिए।

5. कराधान

चूंकि जेईआरसी को आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है, इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, संगठन ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के तहत आयकर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

6.1	सी.आई.एफ. आधार पर परिकलित आयात का मूल्य	—	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय	—	शून्य
6.3	एफओबी आधार (आय) पर निर्यात का मूल्य	—	शून्य

7. लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक

- 7.1 वित्त वर्ष 2022-23 की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक राशि 25,370/- है।
- 7.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 (लेखाओं की लेखापरीक्षा) और वित्तीय वर्ष 2022-23 (अनुपालन लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए 9,52,250/- रुपये का प्रावधान किया गया है।

8. पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक था, पुनः समूहकृत/ पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्गठित किया गया है।
9. 1 से 26 तक की अनुसूचियां 31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न हैं।
10. वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेईआरसी फंड नहीं बनाया गया है। विद्युत मंत्रालय की दिनांक 17.03.2016 की अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि विद्युत मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से

हस्त/-
(एएओ)

हस्त/-
(निदेशक (एफ एवं एल)
और (सचिव, प्रमारी)

हस्त/-
(सदस्य विधि)

हस्त/-
(अध्यक्ष)

दिनांक: 26.07.2023

स्थान: गुरुग्राम

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तुलन-पत्र में प्रकटीकरण और समायोजन

1. i. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत लोकपाल कार्यालय के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विभाग/निगम से किए गए दावे के अनुसार 55,00,004/- रुपये का विवरण नीचे दिया गया है।

विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,62,176.00
दादरा और नगर हवेली पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,67,196.00
विद्युत विभाग, चंडीगढ़	4,39,604.00
विद्युत विभाग, गोवा	11,88,444.00
विद्युत विभाग, दमन एवं दीव	6,57,424.00
विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	92,356.00
विद्युत विभाग, पुदुचेरी	7,92,804.00

कुल : **55,00,004.00**

- ii. प्राप्त होने पर पूरी राशि पीएओ, विद्युत मंत्रालय को भेज दी जाती है। तथापि, आयोग विद्युत मंत्रालय से प्राप्त किए जा रहे अनुदानों में से विद्युत लोकपाल के व्यय को वहन करना जारी रखेगा।
- iii. स्थापना व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय अलग से दर्ज किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है: –

विवरण	व्यय शीर्ष	राशि (रु.)
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय (छ) अ	लोकपाल वेतन	13,15,546.00
	कर्मचारी कल्याण	20,959.00
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय	किराया	29,41,116.00
	अन्य कर्मचारी व्यय	8,75,920.00
	विद्युत – शक्ति	1,53,104.00
	मुद्रण और लेखन सामग्री	29,279.00
	डाक एवं टेलीफोन व्यय	29,125.00
	यात्रा व्यय	1,27,630.00
	कुल	54,92,679.00

iv- 7,325/- रुपये के व्यय पर अतिरिक्त मांग को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

2. पिछले वर्ष के लिए स्थापना और प्रशासनिक से संबंधित कुछ खर्चों का प्रावधान नहीं किया जा सका। इसे चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में पूर्व अवधि के खर्चों (स्थापना) (प्रशासनिक) के रूप में दर्शाया गया है।

3. विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति पत्र के अनुसार सीपीएफ योगदान किया जाना है।

जेईआरसी दो सदस्यीय आयोग है इसलिए सीपीएफ ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। ये योगदान सीपीएफ ट्रस्ट की अनुपलब्धता के कारण गैर-मान्यता प्राप्त निधियों के रूप में किए जाते हैं। उनके सीपीएफ योगदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से को मासिक आधार पर सावधि जमा के रूप में रखा जाता है। सीपीएफ एफडी में निवेश की गई राशि उन्हें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई सीपीएफ दर पर ब्याज के साथ टर्मिनल लाभ के रूप में भेजी जाती है। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

4. ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है, यदि उन्होंने सेवानिवृत्ति, सेवा निवर्तन, इस्तीफे आदि पर पाँच साल की निरंतर सेवा प्रदान की है।

इसलिए यह ग्रेच्युटी के लिए आवश्यक प्रावधान है और आयोग के कर्मचारी की छुट्टी नकदीकरण को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया है और इस तरह के निधि को सावधि जमा के रूप में रखा गया है।

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से

हस्त/—
(एएओ)

हस्त/—
(निदेशक (एफ एंड एल)
और (सचिव, प्रमारी)

हस्त/—
(सदस्य विधि)

हस्त/—
(अध्यक्ष)

दिनांक 26.07.2023

स्थान गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 55 - 56, उद्योग विहार, धरण - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (एचआर) - 122 015 रसीदें और भुगतान खाता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राशि रु में					
रसीदें	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2023	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022	भुगतान	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2023	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022
I. प्रारंभिक शेष राशि			I. व्यवसाय		
क) नकद राशि	-	-	क) स्थापना व्यय	2,11,02,762	2,59,43,357
ख) बैंक बैलेंस	-	-	ख) प्रशासनिक व्यय	4,00,25,456	3,39,27,740
i) चालू खातों में	1,64,912	4,09,83,985			
ii) जमा खातों में	1,26,19,751	2,26,41,374			
iii) बचत खाते	1,78,74,223	2,42,585			
	3,06,58,886	6,38,67,944		6,11,28,218	5,98,71,097
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का		
क) भारत सरकार की ओर से	9,67,63,000	9,07,18,000			
ख) राज्य सरकार की ओर से	-	-			
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व)	9,67,63,000	9,07,18,000			
III. निवेश पर आय			III. किए गए निवेश और जमा राशि		
क) निश्चित/स्थायी निधि	-	-	a) निश्चित/स्थायी निधियों में से	-	-
ख) स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	-	-	b) स्वयं की निधि से	-	-
IV. प्राप्त ब्याज			IV. अचल संपत्तियों और पूंजी पर व्यवसायिक कार्य-प्रगति पर		
क) बैंक जमा पर	7,17,724	12,85,342	क) अचल संपत्तियों की खरीद	3,21,332	4,52,758
ख) ऋण, आरंभ आदि।	-	-	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	-	-
ग) On Saving Bank	10,78,474	4,41,478			
	17,96,198	17,26,820		3,21,332	4,52,758
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण का रिफंड		
क) लोकपाल व्यय की प्रतिपूर्ति	55,33,509	1,81,70,558	क) भारत सरकार को	-	-
ख) याचिका शुल्क	4,09,46,076	4,17,15,513	ख) राज्य सरकार को	-	-
ग) लाइसेंस शुल्क	24,87,39,675	18,24,71,355	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए	-	-
घ) अचल संपत्तियों की बिक्री	-	1,52,364			
	29,52,19,260	24,25,09,790			
VI. उधार ली गई राशि			VI. वित्त शुल्क (व्याज)		
VII. कोई अन्य रसीदें (विवरण दें)			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
क) ईएमडी प्राप्त हुआ।	7,65,000	46,00,000	क) टीडीएस भुगतान और जीएसटी पर टीडीएस	49,22,128	54,83,189
ख) विविध शुल्क	2,23,440	1,430	ख) बैंक शुल्क	24	434
ग) प्रदर्शन गारंटी	-	11,850	ग) सलाहकार भुगतान	76,09,911	83,87,201
घ) स्क्रेप की बिक्री	2,000	9,940	घ) आउटसोर्सिंग कर्मचारी भुगतान	74,72,027	86,95,255
ङ) अन्य	2,13,032	19,960	ङ) व्यावसायिक एवं कानूनी शुल्क	94,77,163	74,40,190
च) ब्याज सहित टीडीएस रिफंड प्राप्त हुआ	-	8,34,780	च) व्यय की प्रतिपूर्ति	10,81,569	3,17,643
छ) प्रोसेसिंग शुल्क	50,000	35,000	छ) ईएमडी रिफंड	4,00,000	42,00,000
ज) नियामकों का भ्रम	6,10,985	-	ज) विद्युत मंत्रालय (लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क, विविध और ब्याज भुगतान)	21,09,92,482	27,88,28,867
	18,64,457	55,12,960		24,19,55,304	31,33,52,779
VIII. अंतिम शेष राशि			VIII. अंतिम शेष राशि		
क) नकद राशि	-	-	क) नकद राशि	-	-
ख) बैंक बैलेंस	-	-	ख) बैंक बैलेंस	-	-
i) चालू खातों में	-	-	i) चालू खातों में	1,64,412	1,64,912
ii) जमा खातों में	-	-	ii) जमा खातों में	1,88,28,392	1,26,19,745
iii) बचत खाते	-	-	iii) बचत खाते	10,39,04,143	1,78,74,223
	-	-		12,28,96,947	3,06,58,880
कुल	42,63,01,801	40,43,35,514	कुल	42,63,01,801	40,43,35,514
संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के लिए और उसकी ओर से (एएओ) निदेशक (एफ एवं ए) सचिव (प्रभार) सदस्य (विधी) अध्यक्ष दिनांक: 26.07.2023 स्थान: गुरुग्राम					

5. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का विवरण

श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक (वित्त एवं विधि) को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था और श्री धीरज यादव, प्रशासन-सह-लेखा अधिकारी को आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 15 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का निपटान आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर किया गया था।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

6.1 वार्षिक राजस्व आवश्यकताएँ और टैरिफ का निर्धारण

आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले छह विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों के लिए पिछले वर्षों के लिए टू अप, वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिकाओं पर विचार करेगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।

6.2 उत्पादन और पारेषण टैरिफ आदेश

वित्त वर्ष 2024-25 की प्रक्रिया के अनुसार पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक जेनरेशन टैरिफ ऑर्डर और तीन (1) बिजली विभाग-दादरा और नगर हवेली-66 केवी, (2) बिजली विभाग-दमन और दीव-220 केवी और (3) डीएनएचडीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ ऑर्डर जारी किया जाएगा।

6.3 विनियमों में संशोधन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विनियमों की समीक्षा और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है:-

- (1) जेईआरसी (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2009
- (2) जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2019
- (3) जेईआरसी (सौर ऊर्जा-ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप और मीटरिंग) विनियम, 2019
- (4) जेईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2009
- (5) जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018
- (6) जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021

6.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियम 2009 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य सलाहकार समिति की बैठकों की योजना बनाई जा रही है।

अनुलग्नक-1

सभी प्रदेशों में सीजीआरएफ का विवरण

क्र. सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्यों का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	मोबाईल सं.	ई-मेल
1	गोवा	1. श्री एषले लियोनार्ड कै. मिलो नोरोन्हा 2. रिक्त 3. श्रीमती सैंड्रा वाज ई कोर्रिया	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	विद्युत भवन, चौथी मंजिल, केटीसी स्टैंड के पास, मुंडवेल, वास्को, गोवा-403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com Adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. श्री आर. रविचंदर 2. श्री नारायण चन्द्र बरोई 3. श्रीमती बिजी थॉमस	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	नंबर ईएल/03 एवं 04, हॉर्टिकल्चर रोड, हैड्डो (पी. ओ), पोर्ट ब्लेयर-744102	03192-244822(O)	andcgrf@rediffmail.com
3	चंडीगढ़	1. रिक्त 2. श्री राजिंदर मोर 3. श्री जसविंदर सिंह सिद्धू	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	पुरानी बी एंड आर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के कार्यालय के निकट, सेक्टर 19-बी, चंडीगढ़	0172-2542012 (O) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4	दादरा एण्ड नागर हवेली एण्ड दमन एण्ड द्वीप	1. श्री राजीव के पुरोहित 2. श्री धर्मेश दवे 3. रिक्त	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	विद्युत विभाग, दादरा एवं नगर हवेली, 66केवी सबस्टेशन, अमली रोड, सिलवासा-396250	9099991912	consumerforumdnhdd@torrentpower.com
5	लक्षद्वीप	1. रिक्त 2. रिक्त 3. श्रीमती सुनिधा इस्माइल केआरबी	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	बिजली के लिए सीजीआरएफ, पावर हाउस के निकट, कावारत्ती, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप-682555	9496196167	Lk-ktelect@nic.in Ssunidha766@gmail.com
6	पुडुचेरी	1. श्री टी गोपालकृष्णन 2. श्री ए.एस. जितेंद्र राव 3. श्री आर कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसी) स्वतंत्र सदस्य	नंबर 6, 17वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुडुचेरी-605 005	04132201351 04132201451	cgrfpon@gmail.com

अनुलग्नक-2

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई/अन्य सुनवाई और आदेश जारी करने का विवरण: —

क्र.सं.	याचिका सं.	प्रार्थी	मामला	सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
1	78/2022	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक बहु-वर्षीय नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना का अनुमोदन	24.05.2022 (हैवलॉक) और 27.05.2022 (पोर्ट ब्लेयर)	01.08.2022
2	79/2022	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक बहु-वर्षीय नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना का अनुमोदन	13.05.2022	11.07.2022
3	80/2022	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2020-21 के टू-अप, वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण को अनुमोदन	13.05.2022	11.07.2022
4	81/2022	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रदर्शन राजस्व, तीसरे एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क का निर्धारण	24.05.2022 (हैवलॉक) और 27.05.2022 (पोर्ट ब्लेयर)	01.08.2022
5	82/2022	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टू-अप पर माननीय आयोग द्वारा जारी किए गए 31.03.2022 के टैरिफ आदेश की समीक्षा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तीसरी नियंत्रण अवधि और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण बिजली विभाग, पुडुचेरी सरकार के लिए याचिका संख्या 70/2021 में किया गया है।	28.07.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	01.08.2022

6	83/2022	राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड	गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (नेट-मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019 के लिए जेईआरसी के प्रावधान 4.4 में छूट, उपभोक्ता परिसर में स्थापित की जाने वाली अधिकतम सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर सीमा लगाना।	15.12.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	25.04.2023
7	84/2022	बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	2 मेगावाट / 1 मेगावाट बीईएसएस के साथ 4 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र से टैरिफ के अनुमोदन और बिजली की खरीद के लिए याचिका।	18.10.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	24.05.2023
8	85/2022	बिजली विभाग, गोवा	वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ट्यू-अप	22.11.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	28.03.2023
9	86/2022	बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	मायाबंदर में 33 केवी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 1.6 मेगावाट (05:00 अपराह्न से 10:00 बजे तक) शाम के पीक लोड और औसत के आधार पर चौबीसों घंटे 1.2 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी के लिए याचिका बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, पोर्ट ब्लेयर - 744101, और मैसर्स के बीच तीन साल की अवधि के लिए प्रति माह 5.2 लाख यूनिट की गारंटीकृत उत्पादन के साथ 1.5 मेगावाट का डे और इवनिंग लोड। मोना जेनरेटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, आई-ए, बेसमेंट, 30-31, राजा हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	20.12.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	24.04.2023

10	87/2022	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	तीन साल की अवधि के लिए या 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट, के चालू होने तक प्रति माह 2.92 एमयू की न्यूनतम गारंटी वाली यूनिट डिलीवरी के साथ बम्बूफ्लैट में बिजली विभाग के 33 केवी ग्रिड को लगातार 5 मेगावाट बिजली देने के लिए डीजी सेट के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी के लिए याचिका पावर प्लांट, जो भी पहले हो, बिजली विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, पोर्ट ब्लेयर- 744101, और मेसर्स के बीच। एग्नेको एनर्जी रेंटल प्रा. लिमिटेड, चौबर्स, कार्यालय क्रमांक 501, प्लॉट क्रमांक 4/12/13, विमान नगर, पुणे।	20.12.2022 (वर्चुअल सुनवाई)	24.04.2023
11	88/2022	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)	वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का टू-अप और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जनरेशन टैरिफ का निर्धारण	24.02.2023	28.03.2023
12	89/2022	डीएनएच और डीडी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएनएचडीपी डीसीएल)	टैरिफ ऑर्डर समीक्षा वित्त वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व आवश्यकता, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण।	10.05.2023 सिलवासा और दमन और 12.05.2023 दीव	01.08.2023
13	91/2022	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	28.02.2023	28.03.2023
14	92/2022	विद्युत विभाग-दादरा और नगर हवेली दमन और द्वीव - पारेण प्रभाग	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	02.03.2023	30.03.2023
15	93/2022	डीएनएचडीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	02.03.2023	30.03.2023

16	94/2022	दमन और दीव का बिजली विभाग	वित्त वर्ष 2021-22 का टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का निर्धारण और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	02.03.2023	30.03.2023
17	95/2022	बिजली विभाग, गोवा	वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की मंजूरी, कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण	15.02.2023	30.03.2023
18	96/2022	बिजली विभाग, पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	24.02.2023	30.03.2023
19	97/2023	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	07.03.2023 (हैवलॉक) और 10.03.2023 (पोर्ट ब्लेयर)	28.03.2023
20	98/2023	डीएनएचडीडी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1 (ख) और खंड 19 के तहत विविध याचिका, किसी अन्य स्रोत या अधिसूचित भंडारण से बिजली के साथ पूरक। विद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाई 2020 को उक्त दिशानिर्देशों से विचलन के अनुमोदन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जारी की।	08.02.2023	15.03.2023
21	99/2023	बिजली विभाग, चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2020-21 के टू-अप और वित्त वर्ष 2021-22 के टू-अप, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और रिटेल टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुमोदन	17.03.2023	30.03.2023

अनुलग्नक-3

31.03.2023 को अधिसूचित विनियमों की सूची

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
1.	जेईआरसी-01/2009	(व्यवसाय का संचालन) विनियम-2009 • प्रथम संशोधन विनियम-2013 • द्वितीय संशोधन विनियम-2013 • तृतीय संशोधन विनियम-2014 • चतुर्थ संशोधन विनियम-2015 • पाचवां संशोधन विनियम-2019	30.07.2009 • 30.04.2013 • 11.10.2013 • 15.05.2014 • 11.02.2015 • 11.09.2019
2.	जेईआरसी-02/2009	अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें विनियम-2009	30.07.2009
3.	जेईआरसी-03/2009	लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली विनियम-2009 • प्रथम संशोधन विनियम-2013 • द्वितीय संशोधन विनियम-2015 • तृतीय संशोधन विनियम-2017 (निरस्त)	31.07.2009 • 04.04.2013 • 01.01.2015 • 12.06.2017
4.	जेईआरसी-04/2009	उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु फोरम विनियम-2009 की स्थापना • प्रथम संशोधन विनियम-2013 • दूसरा संशोधन विनियम-2015 (निरस्त)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	जेईआरसी-05/2009	(ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसायों का उपचार) • प्रथम संशोधन विनियम-2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	जेईआरसी-06/2009	प्रदर्शन मानक विनियम-2009 (निरस्त)	30-07-2009
7.	जेईआरसी-07/2009	राज्य सलाहकार समिति विनियम-2009 • प्रथम संशोधन विनियम-2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	जेईआरसी-08/2009	सलाहकारों की नियुक्ति विनियम-2009 • प्रथम संशोधन विनियम-2015	11.02.2010 • 21.01.2015
9.	जेईआरसी-09/2009	पारेशन एवं वितरण विनियम-2009 में खुली पहुंच (निरस्त)	11.02.2010
10.	जेईआरसी-10/2009	टैरिफ विनियम-2009 के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (निरस्त)	08.02.2010
11.	जेईआरसी-11/2010	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम-2010 (निरस्त)	20.05.2010
12.	जेईआरसी-12/2010	राज्य ग्रिड कोड विनियम-2010	07.08.2010
13.	जेईआरसी-13/2009	विद्युत व्यापार विनियम-2010	31.08.2010

14.	जेईआरसी- 14/2010	नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद विनियम-2010 • प्रथम संशोधन विनियम-2014 • द्वितीय संशोधन विनियम-2015 • तृतीय संशोधन विनियम-2016 • चौथा संशोधन विनियम-2022	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016 • 24.03.2022
15.	जेईआरसी- 15/2010	वितरण संहिता विनियम-2010	11.08.2010
16.	जेईआरसी- 16/2013	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया विनियम-2013	29.04.2013
17.	जेईआरसी- 17/2014	मांग पक्ष प्रबंधन विनियम-2014	24.06.2014
18.	जेईआरसी- 18/2014	बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियम-2014 (निरस्त)	30.06.2014
19.	जेईआरसी- 19/2015	सौर ऊर्जा – ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप और मीटरिंग विनियम-2015 (निरस्त)	15.05.2015
20.	जेईआरसी- 20/2015	वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन का मानक विनियमन-2015	24.07.2015
21.	जेईआरसी- 21/2017	इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस विनियम-2017 • पहला संशोधन विनियम, 2020 • दूसरा संशोधन विनियम, 2022	14.03.2018 • 25.11.2020 • 20.05.2022
22.	जेईआरसी- 22/2018	(उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018	10.08.2018
23.	जेईआरसी- 23/2018	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम-2018 • प्रथम संशोधन विनियम-2019 • दूसरा संशोधन विनियम-2021	26.11.2018 • 25.03.2019 • 25.06.2021
24.	जेईआरसी- 24/2019	नेट मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम विनियम-2019	24.07.2019
25.	जेईआरसी- 25/2019	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विनियम-2019 • नियंत्रण अवधि की प्रयोज्यता विस्तार-आदेश	24.07.2019 • 23.08.2022
26.	जेईआरसी- 26/2019	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम-2019 • शुद्धिपत्र	11.09.2019 • 21.04.2020
27.	जेईआरसी- 27/2020	पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग विनियम-2020	10.02.2021
28.	जेईआरसी- 28/2020	उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021	22.03.2021



ANNUAL REPORT

FINANCIAL YEAR 2022-23

(Under Section 104 & 105 of Electricity Act, 2003)

XV EDITION

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)
3rd & 4th Floor, Plot No.55-56
Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy.jercuts@gov.in

TABLE OF CONTENTS

(i)	ANNEXURES	2
(ii)	ABBREVIATIONS	3
(iii)	FROM THE DESK OF THE CHAIRPERSON	4
1.	ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION	6
1.1	The Commission	6
1.2	Functions and Duties of the Commission	7
1.3	Profile of the Members of the Commission	8-9
1.4	Organizational Structure of the Commission	10
1.5	Office of the Commission	11
1.6	Public Hearings	11
1.7	Website	11
1.8	Digital Workplace: E-Office Implementation	11
1.9	Trainings	12
1.10	Right to Information	13
1.11	Parliament Questions	13
1.12	Vigilance/Disciplinary Cases	13
2.	ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING FY 2022-23	14
2.1	Regulations	14
2.2	Public Hearings on ARR and Tariff determination during FY 2022-23	14-16
2.3	Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for FY 2022-23	17-18
2.4	Important parameters of the Electricity Utilities under JERC Jurisdiction	19-20
2.5	State Advisory Committee Meetings	21
2.6	Status of petitions during the FY 2022-23	22-23
2.7	Adjudication of Disputes and Differences	24-26
3.	SEPARATE AUDIT REPORT ON ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2022-23	27-32
4.	ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION FOR FY 2022-23	33-54
5.	DETAILS OF INFORMATION UNDER RTI ACT 2005	55
6.	AGENDA FOR FINANCIAL YEAR 2023-24	55
ANNEXURES		
<u>Annexure-1: -Details of Consumer Grievances Redressal Forums</u>		56
<u>Annexure-2: -Details of Public Hearings/other hearings conducted by the Commission during FY 2022-23</u>		57-60
<u>Annexure-3: -List of Regulations as on 31.03.2023</u>		61-62

ABBREVIATIONS

ACoS	Average Cost of Supply
ARR	Annual Revenue Requirement
CERC	Central Electricity Regulatory Commission
CGRF	Consumer Grievances Redressal Forum
DNHDDPCL	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Corporation Limited
DNHDDPDCL	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Distribution Corporation Limited
ED	Electricity Department
FOIR	Forum of Indian Regulators
FOR	Forum of Regulators
FPPCA	Fuel and Power Purchase Cost Adjustment
FY	Financial Year
GoI	Government of India
IAS	Indian Administrative Service
JERC	Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories)
MoU	Memorandum of Understanding
NHPC	National Hydro Power Corporation
PFC	Power Finance Corporation
PPCL	Puducherry Power Corporation Limited
PPA	Power Purchase Agreement
PFC	Power Finance Corporation
PSU	Public Sector Undertaking
REC	Rural Electrification Corporation
RPO	Renewable Purchase Obligations
RTI	Right to Information
SAC	State Advisory Committee
SECI	Solar Energy Corporation of India
SRPC	Southern Regional Power Committee
T&D	Transmission and Distribution
WRPC	Western Regional Power Committee

FROM THE DESK OF THE CHAIRPERSON



Alok Tandon
Chairperson



I have great pleasure in presenting the fifteenth edition of Annual Report of Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) for the FY 2022-23.

In terms of provisions u/s 104 & 105 of the Electricity Act, 2003 read with JERC (Preparation of Annual Report) Rules, 2010, the Annual Report is prepared every year to present an overview of the Commission's activities during the financial year which inter-alia contains a summary of accounts for the year. This report is accordingly prepared and being presented.

The Commission started functioning from August 2008 and since then it has been endeavouring to set up a fair, transparent and objective electricity regulatory regime in the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Lakshadweep Islands. The Commission has taken steps for promoting efficiency and competitiveness in the electricity sector, promoting green energy, improving the performance and financial viability of the electricity utilities and ensuring protection of consumer interest.

During the FY 2022-23, the Commission issued ARR and Tariff Orders in respect of three Transmission Licensees i.e. Electricity Department-Dadra and Nagar Haveli (Transmission), Electricity Department-Daman & Diu (Transmission) and DNHDD Power Corporation Limited; five (05) Distribution Licensees/Electricity Departments namely Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry and State of Goa and one generation company i.e. Puducherry Power Corporation Limited for the financial year 2023-24.

All the Tariff Orders for the above-mentioned utilities were issued within the stipulated date as per Act i.e. before 31st March, 2023 except for DNHDD Power Distribution Corporation Limited. DNHDDPDCL (a subsidiary of Torrent Power Limited) which after taking over the distribution business in the UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu had submitted tariff petition for the MYT control period, however, the MYT

control period was not effective from FY 2023-24 and therefore, the Commission directed DNHDDPDCL to submit the revised petition for ARR and tariff determination for FY 2023-24 resulting in slight delay in issue of Tariff Order for FY 2023-24. The Annual Performance Review of most of the licensees for the FY 2022-23 was also carried out.

The Commission has always been proactive in facilitating growth of renewable energy sector and its effective and balanced integration with the grid. Considering the green initiatives of GoI, the Commission has been closely monitoring the renewable purchase obligations (RPO) of all the distribution utilities in the territories by conducting suo moto hearings and urging the utilities to meet their RPO targets.

The consumer's interest has always been a priority for the Commission. The Commission has taken all necessary steps to redress the grievances of electricity consumers through the Independent Ombudsman and Consumer Grievance Redressal Forums in timely manner. The Commission has also directed all the distribution utilities to create additional CGRFs at different levels to cater the needs of the sub-division, division, circle, zone, company level. The Commission is also in process of amending the CGRF and Ombudsman Regulations to align with provisions of the Electricity (Right of Consumer) Rules, 2020 and amendment rules as notified by GoI.

To create a healthy & conducive atmosphere in electricity sector, the Commission follows the consultative process, frequent interactions on various issues with the representatives of consumer organizations, industry associations, power sector experts and utilities through the Public Hearings and meetings of State Advisory Committee.

Lastly, I on behalf of the Commission would like to take this opportunity to express my appreciation and gratitude to the generating companies, transmission licensees and Distribution Licensees for their unstinted cooperation which helped the Commission in determination of a rational, balance Tariff Orders in time. It looks forward to continued support from all the stakeholders, consumers and general public in the discharge of its statutory responsibilities to ensure sustained development of the electricity sector in the State of Goa and Union Territories. With this note, I present the 15th Annual Report of the Commission for FY 2022-23.

(Alok Tandon)
Chairperson

1. ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION

1.1 The Commission

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi, J&K and Ladakh, to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During the year the Commission has endeavoured to continue further with its fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Fifteenth Annual Report of the Commission showcases the activities of the Commission during the Financial Year 2022-23.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Functions of the Commission

THE MANDATE

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of the Central Electricity Authority, Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal for electricity. It also aims to create an enabling framework conducive to development of the power sector in an open, non-discriminatory, competitive, market driven environment, keeping in view the interest of consumer as well as power suppliers. In this context, the role of the Commission is pivotal in order to realize the objectives envisaged in the Electricity Act.

THE FUNCTIONS MANDATED TO THE COMMISSION

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh), balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh) and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003:-

- a) Determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State and Union Territories:

Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the Joint Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

- b) Regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State and Union Territories;
- c) Facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;
- d) Issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;
- e) Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;
- f) Adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;
- g) Levy fee for the purposes specified under this Act;
- h) Specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity Regulatory Commission;
- i) Specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;
- j) Fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;
- k) Discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/Union Territory Government on all or any of the following matters, namely: -

- i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;
- ii) promotion of investment in electricity industry;
- iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/UTs
- iv) matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions, and, as per Section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, the National Electricity Plan and Tariff Policy.

1.3 PROFILE OF THE MEMBERS OF THE COMMISSION

The Commission, during the period of the present Annual Report consisted of the following Members:

1.3 (i) Chairperson



Shri Alok Tandon
Chairperson

Shri Alok Tandon, IAS (Retd.) is the Chairperson of the Commission. He assumed the charge to the post of Chairperson, JERC (for the State of Goa & UTs) w.e.f. 31st March, 2023.

Shri Tandon, is an Electrical Engineer (B.Tech.) from IIT-Kanpur (1984 batch), and the recipient of the President's Gold Medal. He has a Master's degree in Public Policy from Princeton University (2006) and a recipient of the World Bank's Robert S. McNamara Fellowship.

Additionally, he holds a Ph.D. in Economics. He was also awarded the Chevening Gurukul Scholarship by the UK Foreign, Commonwealth and Development Office in the year 2010.

Sh. Tandon joined the the Indian Administrative Service in 1986 and was allotted UP cadre. He has held various positions in the government of UP including Chairman-cum-Managing Director of UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam, Chairman-cum-CEO, Noida Authority and Infrastructure & Industrial Development Commissioner.

Sh. Tandon has also held significant administrative positions in the Govt of India. He has worked as Joint Secretary, in the Ministry of Finance (October, 2011 to June, 2016) and as Secretary, in the Ministry of Mines (January, 2021 to September, 2022).

1.3 (ii) Member



Smt. Jyoti Prasad
Member (Law)

Smt. Jyoti Prasad took over as Member (Law), Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories on 06/12/2021.

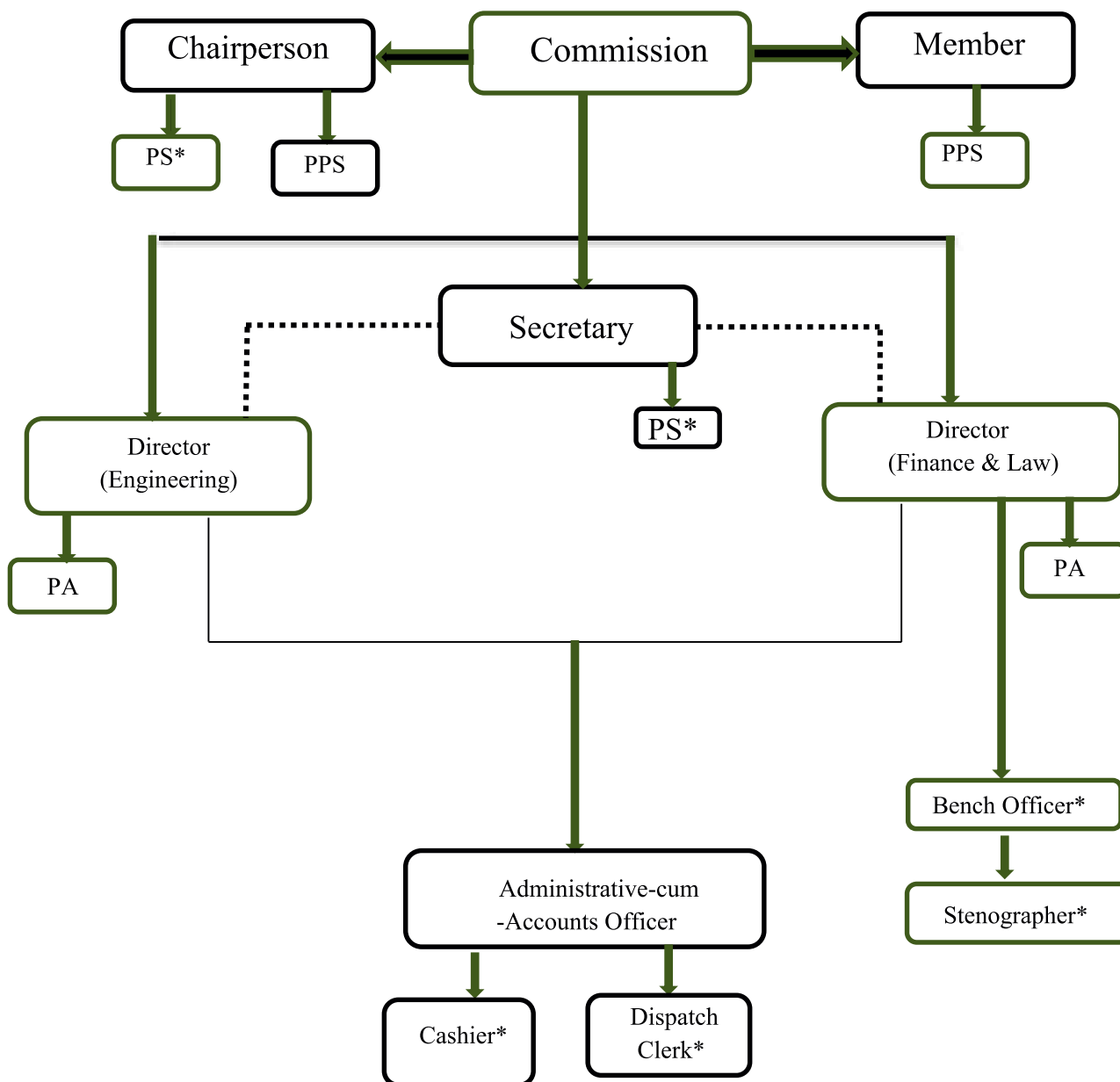
Smt. Jyoti Prasad, a Science & Law Graduate from Delhi University, was a practicing Lawyer in Delhi High Court. Before joining JERC for the State of Goa & UTs, she had served Power Grid Corporation of India Ltd. for over 28 years. During her tenure with Power Grid Corporation of India Ltd., she immensely contributed to dealing with arbitration-related cases, contract laws, service laws, regulatory and advisory issues. She also took an active part in handling advisory issues of various departments in the corporate center.

Smt. Prasad also worked in POSOCO and made significant contributions to all the regulations of CERC as well as the regulatory issues of POSOCO, including the RLDCs. She also actively participated in all regulatory matters relating to the Central Transmission Utility (CTU), Grant of Connectivity, and Open Access to the Transmission System. She has also handled cases of CERC, APTEL, Delhi High Court, and Supreme Court of India.

Smt. Prasad has vast experience in the Power Sector with varied issues pertaining to the implementation of renewable power, provided valuable inputs towards framing of regulations in CERC in matters relating to Grant of Connectivity and Open Access to the Transmission System, including providing inputs towards the framing of regulations by the CERC.

1.4 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION

The Organization Chart based on the sanctioned staff strength is depicted below:-



* Posts abolished; however, the proposal for creation/revival of posts has been submitted to MoP vide JERC letter no. JERC/AC-I/1/2022-23 (614) dated 22.02.2023

1.5 OFFICE OF THE COMMISSION

The Commission is functioning through a rented premises located at Plot No. 55-56, 3rd & 4th Floor, Udyog Vihar- IV, Sector-18, Gurugram, Haryana with appropriate Conference Room, Court Room for conducting hearing facilities to conduct its business and to facilitate better working conditions and larger courtroom facilities.

1.6 PUBLIC HEARING

During FY 2022-23, the Commission conducted 21 public and other hearings in order to resolve the matters brought before it, the details of which are placed at **Annexure 2**.

1.7 WEBSITE

The computer systems in the Commission's office are connected through a Local Area Network (LAN). The system is useful for access to any reference information. The Commission has its own website i.e. www.jercuts.gov.in which is regularly maintained and updated by its Secretariat. The website of the Commission is being redesigned with more interactive Graphic User Interface.

The website is used for hoisting hearing schedules, news, updates, notices inviting comments on Regulations/ Petitions, notified Regulations and Orders of the Commission etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

1.8 DIGITAL WORKPLACE: E-OFFICE IMPLEMENTATION

The Office of the Commission has been completely digitized. E-Office Implementation has enhanced transparency and well-organized work process in the Commission. The quality and speed of decision-making is easier to monitor. It helped in enabling increased accountability and ensures data security and integrity.

1.9 TRAINING

The staff of the Commission has been attending various training programs and workshops conducted by reputed institutions to keep themselves updated about the latest developments in the power sector. During FY 2022-23, the following training and workshops were attended by the staff of the Commission: -

S.No.	Particulars of Training/Workshop	Organized by	No. of participants attended	Date of training
1.	Regulatory Certification Program (RCP) on 'Power Sector Regulation: Theory and Practice'	Centre for Energy Regulation (CER), IIT Kanpur	01	29.05.2022 to 12.06.2022
2.	Fourth Batch of three Months Online Certificate Course on – “Regulatory Governance”	School of Competition Law & Market Regulation in collaboration with FOIR	02	09.07.2022 to 08.10.2022
3.	EAT (Expenditure, Advance and Transfer)-Process of Receipt of Funds filing Expenditure Advance & Settlement and Transfer of funds to lower agency by Institution/Implementing Agencies	Public Finance Management System, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi	03	03.08.2022
4.	TSA-Sensitization on the process of routing funds through RBI and use of DSC, Procedural 3 DO's and Don'ts	Public Finance Management System, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi	03	12.08.2022
5	DBT-Configuration and payment of DBT by various modes	Public Finance Management System, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi	03	25.08.2022
6	Regulatory Certificate Program on “Renewable Energy: Economics, Policy and Regulation”	Centre for Energy Regulation (CER), IIT Kanpur	01	07.11.2022 to 23.11.2022
7	3 days Capacity Building Program on “Changes and Challenges in Regulatory Governance”	Forum of Indian Regulators (FOIR) along with FOIR Centre at Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs	02	13.12.2022 to 15.12.2022
8	Fifth Batch of Three Months Online Certificate Course – “Regulatory Governance”	School of Competition Law & Market Regulation in collaboration with FOIR	03	19.02.2023 to 18.05.2023

1.10 RIGHT TO INFORMATION

The Commission has a RTI cell for providing information to applicants under the Right to Information Act, 2005. During the financial year 2022-23, fifteen (15) applications were received under Section 6 of RTI Act, 2005. All applications were disposed of within the prescribed time as per RTI Act, 2005.

1.11 PARLIAMENT QUESTIONS

During the year, the Commission has replied 25 queries/questions related to the Power sector raised during various Parliament Sessions.

1.12 Vigilance/Disiplinary Cases

During the year, disciplinary proceedings have been initiated in respect of two (02) officials of the Commission as per proviso contained in CCS (CCA) Rules, 1965.

2. ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-23

2.1 REGULATIONS

During FY 2022-23, the following Regulations were amended: -

- (1) Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (Second Amendment) Regulations, 2022 notified on 20.05.2022.
- (2) The applicability of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations 2019 were extended upto 23rd July, 2023 vide Order dated 23.08.2022

2.2 Public Hearings on ARR and tariff determination during FY 2022-23

S. No	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hearing
1.	88/2022	Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	True-up of the FY 2020-21 and FY 2021-22 Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023
2	91/2022	Electricity Department, Lakshadweep	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	28.02.2023 (Virtual Hearing)
3	92/2022	Electricity Department, (Transmission Division), UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)
4	93/2022	DNH and DD Power Corporation Limited	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirements (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Tariff for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)
5	94/2022	Electricity Department of Daman & Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23 and Determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Transmission Tariff for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)
6	95/2022	Electricity Department, Goa	Approval of Annual Performance Review of FY 2022-23 Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	15.02.2023
7	96/2022	Electricity Department, Puducherry	True-up for FY 2021-22 Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023
8	97/2023	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	07.03.2023 & 10.03.2023
9	99/2023	Electricity Department, Chandigarh	Approval for True-up of FY 2020-21 and True-up of FY 2021-22 Annual Performance Review (APR) of FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	17.03.2023

Some glimpses of the Public Hearings are pictured below: -

1. Public Hearing on ARR and Tariff determination for FY 2023-24 for Electricity Department-Goa held on 15.02.2023



2. Hon'ble Commission answering to the Media after the Public Hearing at ED, Goa



3. Public Hearing on ARR and Tariff determination for FY 2023-24 for Electricity Department-Puducherry held on 24.02.2023



4. A conscious consumer of Chandigarh raised his concern pertaining to tariff fixation during Public Hearing on 17.03.2023 at Chandigarh



2.3 DETERMINATION OF TARIFF AND ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2023-24

During the year, the Commission issued Tariff Orders comprising true up for previous years, Annual Performance Review for FY 2022-23 and revision of Annual Revenue Requirement (ARR) and determination of tariff for the generation, transmission and distribution utilities under its jurisdiction for FY 2023-24.

All Tariff Orders were issued within time frame except for DNHDDPDCL. The delay in issue of Tariff Order of DNHDDPDCL due to delay in filing of tariff petition by DNHDDPDCL. DNHDDPDCL had initially submitted tariff petition for MYT control period, however, the MYT control period was not effective from FY 2023-24 and therefore, the Commission directed DNHDDPDCL to submit the revised petition for ARR and tariff determination for FY 2023-24, resulting into delay in issuance of Tariff Order for FY 2023-24.

The details of True-up Orders and Tariff Orders issued are as under: -

S.No	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hearing/Public Hearing	Date of Order
1.	64/2021	Electricity Department Andaman & Nicobar Islands	True-up for FY 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21	21.01.2022 (Virtual Hearing)	10.05.2022
2	85/2022	Electricity Department, Goa	True-up for the FY 2017-18, FY 2018-19 and FY 2019-20	22.11.2022 (Virtual Hearing)	28.03.2023
3	88/2022	Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	True-up of the FY 2020-21 and FY 2021-22 Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023	28.03.2023
4	91/2022	Electricity Department, Lakshadweep	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	28.02.2023 (Virtual Hearing)	28.03.2023
5	92/2022	Electricity Department, Transmission Division, UT of Dadara and Nagar Haveli and Daman and Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)	30.03.2023

6	93/2022	DNH and DD Power Corporation Limited	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirements (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Tariff for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)	30.03.2023
7	94/2022	Electricity Department of Daman & Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23 and Determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Transmission Tariff for FY 2023-24	02.03.2023 (Virtual Hearing)	30.03.2023
8	95/2022	Electricity Department, Goa	Approval of Annual Performance Review of FY 2022-23 Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	15.02.2023	30.03.2023
9	96/2022	Electricity Department, Puducherry	True-up for FY 2021-22 Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023	30.03.2023
10	97/2023	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	07.03.2023 & 10.03.2023	28.03.2023
11	99/2023	Electricity Department, Chandigarh	Approval for True-up of FY 2020-21 and True-up of FY 2021-22 Annual Performance Review (APR) of FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	17.03.2023	30.03.2023
12	89/2022	DNH and DD Power Distribution Corporation Limited (DNHDDPDCL)	Review of Aggregate Revenue Requirement of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY	10.05.2023 Silvassa & Daman & 12.05.2023 (Diu)	01.08.2023

2.4 IMPORTANT PARAMETERS OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION UTILITIES UNDER JERC JURISDICTION

IMPORTANT PARAMETERS OF TARIFF ORDERS FOR JERC TERRITORIES (2022-23)							
TERRITORIES							
Items	DNH	DD	Puducherry	Lakshadweep	Goa	A&N Islands	Chandigarh
Total Energy sales (MU)	6923.89	2563.66	2826.36	57	4241.87	277.19	1536.24
Domestic (%)	2.68%	6.13%	29.25%	76.50%	32.68%	58.88%	51.95%
Commercial (%)	0.56%	1.84%	7.43%	6.38%	14.32%	23.58%	26.47%
Industrial (%)	96.46%	91.58%	60.33%	2.54%	50.45%	4.16%	15.19%
Agriculture (%)	0.07%	0.13%	2.18%		0.79%	0.66%	0.10%
Others (%)	0.22%	0.30%	0.79%	14.54%	1.76%	12.72%	6.29%
PEAK DEMAND (MW)(22-23)	1,243		501	12	718	62	407
Total No. of Consumers	94881	65826	510523	26914	721405	148740	2,36,654
Total Connected Load (KW)	1502738	803084	1331738	125247	3263959	383154	1686035
T&D Loss (%)	3.20%	3.77%	11%	11.25%	10.25%	15.91%	8.80%
FINANCIAL PARAMETERS							
AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT (Rs. Crore)							
Power purchase cost inclusive of RPO	3448.38	1253.72	1344.36	128.92	1839.53	712.05	649.94
Operations & Maintenance Cost	41.12	44.55	156.84	47.55	433	226.03	115.08
Net ARR	3580.88	1332.14	1606.46	187.14	2408.15	995.72	793.81
Revenue at Existing Tariff	3530.78	1259.57	1569.05	26.47	1992.53	195.35	796.44
Standalone Gap/ (Surplus)*	50.1	72.57	37.41	160.67*	415*	779.5*	(2.63)
Carry over Gap/ (Surplus) from previous year	64.22	59.03	388.59	0	0	0	(252.34)
Tariff Revision (%)	3.49%	6.58%	2.38%	13.40%	1.58%	2.10%	-0.1%
Additional Revenue at Revised Tariff	123.31	82.89	37.39	3.55	31.48	20.87	(1.10)
Tariff Surcharge		59.03	80.32				0
Closing Gap / (Surplus)	(1.86)	(2.69)	336.16	0	0	0	(274.12)

TARIFF SUMMARY (Rs./Unit)							
Average cost of supply	5.17	5.2	5.68	32.83	5.68	35.92	5.17
Average Billing Rate	5.28	5.24	5.68	5.27	4.77	7.8	5.18
Tariff for EV Vehicles	4.9	4.9	4.5	6	3.5	7.8	3.6
ABR at approval Tariff (Rs./Unit)							
Domestic	2.61	2.61	3.55	3.71	2.87	4.68	4.58
Commercial	4.43	4.39	7.65	9.99	5.71	12.88	6.01
Industrial	5.35	5.49	5.09	11.86	5.68	10.84	5.74
Agriculture	1.02	0.92	1.11		2.26	1.94	2.60
Others	6.53	4.8	8.63	10.22	6.23	12.46	5.29
ABR % OF ACoS	102%	101%	100%	16%	84%	22%	100%
Domestic	50.5%	50.2%	62.5%	11.3%	50.5%	13.03%	89%
Commercial	85.7%	84.4%	134.7%	30.4%	100.5%	35.86%	116%
Industrial	103.5%	105.6%	89.6%	36.1%	100.0%	30.18%	111%
Agriculture	19.7%	17.7%	19.5%	0.0%	39.8%	5.40%	50%
*Standalone Gap/Surplus is subsidized by the Government through the subsidy/Grants							

2.5 STATE ADVISORY COMMITTEE MEETINGS

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee consisting of members to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, labour, electricity consumers, Non-Government Organizations and academic and research bodies in the electricity sector. The Committee has mandate to deliberate on the following issues regarding:

- Major questions of policy;
- Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
- Protection of consumer interests;
- Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized one SAC meeting (being 18th meeting) during the year on 29.03.2023 at JERC , Gurugram through Video Conferencing.

The following subjects were discussed during the SAC Meeting held on 29.09.2023:

Salient features of Tariff
Orders issued by JERC in the
financial year 2022-23

Electricity Right of Consumer
Rules, 2020 with amendments

Discussions on the latest
development in the power
sector

Important Achievement of the
Commission during the year
2022-23

The details of members attended the 18th State Advisory Committee meeting held on 29.03.2023 are as under: -

S.No.	Name of the member	Designation
1.	Ms. Jyoti Prasad Member (Law), JERC	Ex-Officio Chairperson
2.	Shri S.D. Sharma Secretary(I/c), JERC	Ex-Officio Secretary
3.	Dr. H.L. Bajaj Ex. Member, Appellate Tribunal for Electricity Chairman, Central Electricity Authority	Member
4.	Shri Rajesh Kumar Mediratta MD & CEO Indian Gas Exchange (IGX) H8F7+J2W, IGX Max Towers, Noida	Member
5.	Shri Maria G Durairaj H. No. 918-17-01, Opp. Socoroo Panchayat Office, Porvorium, Bardex Taluka, Goa	Member
6.	Shri Sunil Ijari Silvassa Industries Manufactures Association	Member

2.6 STATUS OF PETITIONS DURING THE FY 2022-23

Petitions as on 01.04.2022	10
Petitions received during the FY 2022-23	22
Total Petitions in FY 2022-23	32
Petitions disposed of during the FY 2022-23	26
Petitions as on 31.03.2023	06

The details of the Petitions pending as on 31.03.2023 are as under: -

S.No.	Petition No.	Subject Matter of the Petition	Petitioner/s
1	84/2022	Petition for approval of Tariff and procurement of Power from 4MWp Floating Solar Power Plant with 2MW/1MWhr BESS.	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration
2	86/2022	Petition for approval of agreement for Purchase of Power through DG Sets to deliver 1.2 MW power on round the clock basis to the 33kV Transmission and Distribution System at Mayabunder having evening Peak Load of 1.6 MW (05:00PM to 10:00 PM) and Average Day and Night Load on the tune of 1.5 MW with guaranteed generation of 5.2 lakh units per month for a period of three years, between Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration, Vidyut Bhawan, Port Blair - 744101, and M/s. Mona Generator Services Pvt. Limited, I-A, Basement, 30-31, Raja House, Nehru Place, New Delhi-110019	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration
3	87/2022	Petition for approval of agreement for Purchase of Power through DG Sets to deliver 5 MW power continuously to the 33kV Grid of Electricity Department at Bambooflat with minimum guaranteed unit delivery of 2.92 MU per month for a period of three years or till commissioning of 50 MW LNG Power Plant, whichever is earlier, between Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration, Vidyut Bhawan, Port Blair- 744101, and M/s. Aggreko Energy Rental Pvt. Limited, the Chambers, Office Number 501, Plot Number 4/12/13, Viman Nagar, Pune.	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration
4.	89/2022	Review of Aggregate Revenue Requirement of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24.	DNH and DD Power Distribution Corporation Limited (DNHDDPDCL)

5.	100/2022	Petition for approval of agreement for “Purchase of Power through DG Sets to deliver 5MW power continuously to the 33KV Grid of the Electricity Department at Chatham/ Phoenix Bay Power House Complex with minimum guaranteed unit delivery of 2.92 MUs per month for a period of three years or till commissioning of 50 MW LNG Power Plant, whichever is earlier” between the Electricity Department, A&N Administration and M/s. Sudhir Ready Gensets Consortium.	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration
6.	101/2022	Petition for approval of agreement for “Purchase of Power through DG Sets to deliver 10 MW power continuously to the 33 KV Grid of Electricity Department at Bambooflat with minimum guaranteed unit delivery of 5.84 MU per month for a period of three years or till commissioning of 50 MW LNG Power Plant, whichever is earlier” between Electricity Department, Andaman & Nicobar Administration, Vidyut Bhavan, Port Blair-744101, and M/s. Sudhir Sales & Service Ltd.,Plot No.1, Sector-34, EHTP Gurugram Haryana- 122001	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration

2.7 ADJUDICATION OF DISPUTES AND DIFFERENCES

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non-redressal of his/ her grievance under Sub-section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as “JERC (Consumer Grievance Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019”. These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers’ grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

ESTABLISHMENT OF CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in **Annexure-1**.

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by the distribution licensee/ Electricity Department under its jurisdiction, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (Notice of Accidents and Injuries) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centres and sub-divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish so, for their information or knowledge, can collect it without any hindrance.

Status Report of functioning of all CGRFs during the year 2022-23 are as tabulated below:

1. CGRF-Goa

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
0	42	42	38	04	-	24

2. CGRF-Chandigarh

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
23	174	197	165	32	-	31

3. CGRF-Andaman & Nicobar

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
10	28	38	26	12	07	36

4. CGRF-Lakshadweep

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
0	4	4	4	0	-	4

5. CGRF-Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
04	01	05	05	0	-	18

6. CGRF-Puducherry

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed of during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
19	219	238	226	12	-	113

CGRF's Members are regularly nominated by the Commission for various training/workshops held on "Protection of Consumer Interest". The following members of CGRFs and Electricity Ombudsman attended two days online training programme on "Protection of Consumer Interest" during 3rd-4th November, 2022 conducted by National Power Training Institute, Faridabad: -

No.	Name of the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF)	Name of the officer	Designation
1.	CGRF-Goa	Smt. Sandra Vaz e Corriea	Independent Member
2.	CGRF-Chandigarh	Shri Rajinder Singh More	Member (Licensee)
3.	CGRF-Puducherry	Shri R. Krishnamurthi	Independent Member
4.	CGRF-Lakshadweep	Smt. Sunidha Ismail KRB	Independent Member
5	Electricity Ombudsman	Shri M.P. Singh Wasal	Ombudsman

ELECTRICITY OMBUDSMAN

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a Statutory Authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non-redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavours to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute on merit based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving wide publicity.

During the year 2022-23, there were 02 appeals pending during start of FY 2022-23 and 31 representations/appeals were admitted during the FY 2022-23. Out of total 33 appeals, 29 no. of appeals were disposed of during the FY 2022-23.

No. of appeals outstanding at the close of the previous year	No. of appeals received during the year	Total no. of appeals in the year	No. of appeals disposed during the year	No. of appeals pending at the close of the year	No. of appeals pending which are older than two months	No. of sittings in the year
02	31	33	29	04	-	26

3. SEPARATE AUDIT REPORT ON ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2022-23



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi



Dated:

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi - 110001

Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the year 2022-23.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), Gurugram for the year 2022-23 along with the Annual Accounts for the year 2022-23.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of Parliament after these are adopted by the Commission.

Two copies of the document as presented to both Houses of Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of Parliament.

Encl: As above.

Yours faithfully,

-sd-

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

पांचवा, छठा, सातवां, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनईसी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

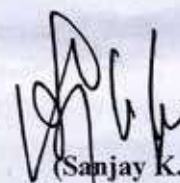
No.: DGA(Energy) /Rep/01-167/Acs-JERC/2023-24/313.

Dated: 23-11-2023.

Copy forwarded to:

1. The Chairperson, Joint Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th floor, Plot No. 55-56, Phase – IV, Udyog Vihar, Sector-18, Gurugram (Haryana) – 122015 along with Management Letter for necessary action.

Encl: As above.



(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the annual accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) for the year ended on 31 March 2023

1. We have audited the attached Balance Sheet of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) as on 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date, under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Services) Act, 1971 read with Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. The preparation of financial statements is the responsibility of JERC's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms etc. Audit observations on the financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examination, on test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

- I. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- II. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by Ministry of Power and adopted by JERC under 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016'.
- III. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by JERC as required under 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016' in so far as it appears from our examination of such books.
- IV. We further report that:

A. Comments on Accounts:
Nil

B. Grants-in-aid:

Out of the Grants-in-aid of ₹10.02 crore (comprising unspent opening balance of ₹0.05 crore from previous year and amount received during the year of ₹9.97 crore), JERC could utilize a sum of ₹9.29 crore during the year leaving a balance of ₹0.73 crore as unutilized on 31 March 2023.

C. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report would be brought to the notice of the Chairperson, JERC, through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(V) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(VI) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts and subject to matters mentioned in the Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

a) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of 'Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) as at 31 March 2023; and

b) in so far as it relates to the Income and Expenditure Account, of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



(Sanjay K. Jha)

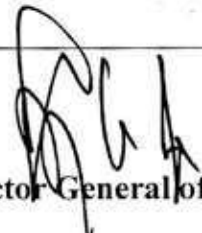
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi

Dated: November 2023

Annexure
(Referred to in para 4 (VI))

1.	Adequacy of Internal Audit System	Internal Audit is conducted by Pay & Accounts Office (PAO) of the MoP, which has been completed upto March 2023.
2.	Adequacy of Internal Control System	Internal Financial Control mechanism for monitoring of receipts and making payments and accounting thereof is commensurate with the size and nature of activities of JERC.
3.	System of verification of fixed Assets	Physical verification of Fixed Assets for the year 2022-23 has been carried out.
4.	System of Physical verification of Inventory	There was no inventory of consumable items of stores held in stock as on 31 March 2023.
5.	Regularity in payment of Statutory Dues applicable to them.	JERC is not exempted from GST. Accordingly, it was required to levy, collect and deposit GST on its revenue other than those in pursuance of its quasi-judiciary functions. However, as it is not being done by JERC, there is violation of GST provisions.
6.	Significant risk to financial reporting observed during the course of audit	No significant risk perceived.
7.	Details of loss of cash or Government property due to theft, misappropriation, fraud and embezzlement etc. during the year	The Management certified that no such case was noticed/ reported during the year.


Director General of Audit (Energy)



No- DGAE/Ref/01-167/ACB-JERC/2023-24/314.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi



Dated: 23.11.2023

To,

The Chairperson,
Joint Electricity Regulatory Commission,
3rd & 4th Floor, Plot No. 55-56,
Phase – IV, Udyog Vihar,
Sector – 18, Gurugram (Haryana) – 122 015

Subject: Management letter- Deficiencies noticed in accounting records

Sir,

We have audited the annual accounts of the Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) for the year 2022-23 and have issued the Separate Audit Report thereon vide letter dated 23-11-2023. During the course of audit, the following deficiencies were noticed which were relatively of a minor nature and were therefore, not included in the Separate Audit Report. These are being brought to your notice for taking corrective and remedial action.

1. Creation of JERC Fund under the Public Account of India as a non-lapsable and non-interest-bearing account, as required under JERC Fund (Constitution and Manner of Application of Fund, Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2016, may be ensured. (DSAR Para No. 1.1, Point No. 2 of Management Letter dated 10.11.2022, Point No. 4 of Management Letter dated 08.11.2021, and Point No. 7 of Management Letter dated 14.01.2021)
2. It may be ensured that reconciliation of rent both payable and paid, to HSIIDC and necessary corrective action is taken during next year. (DSAR Para No. 2.1, Point No.3 of Management Letter dated 10.11.2022, Point No. 2.2 of Management Letter dated 08.11.2021, and Point No. 6 of Management Letter dated 14.01.2021).
3. Complete disclosure of all the items mentioned in the recommendations (March 2017) of the Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha in its 150th Report, may be ensured. (DSAR Para No. 3.1)

Yours faithfully,


(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनईसी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in



**ANNUAL ACCOUNTS
Of
Joint Electricity Regulatory Commission
(For the State of Goa & UTs)
FOR THE FY 2022-23**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)

3i and 4th Floor, Plot No. 55-56, Sector -18, Udyog Vihar - Phase IV
Gurugram, (122015) Haryana

Telephone: +91(124) 4684705 Telefax: +91(124) 4684706

Website: www.jercuts.gov.in

E-mail: secy.jercuts@gov.in

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

BALANCE SHEET
As at 31st March 2023

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule No.	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
Corpus / Capital Fund	1	47,35,707	17,30,758
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked / Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans & Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans & Borrowings	5	-	-
Deferred Credit liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	12,72,78,352	3,87,15,093
TOTAL		13,20,14,059	4,04,45,851
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	8	18,47,700	23,73,121
Investments from Earmarked / Endowment Funds	9	-	-
Investments from others	10	-	-
Current Assets, Loans and Advances etc.	11	13,01,66,359	3,80,72,730
Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		13,20,14,059	4,04,45,851
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	25		
Disclosures & Adjustments	26		

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(AAO)
DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY (I/C)
MEMBER (LAW)
CHAIRPERSON

Date : 26.07.2023

Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
for the year ended 31st March 2023**

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	For the Year ended 31st March 2023	For the Year ended 31st March 2022
INCOME			
Income from Sale / Services	12	2,000	9,940
Grants / Subsidies	13	9,67,63,000	9,07,18,000
Fees / Subscriptions	14	28,96,85,751	22,41,86,868
Income from Investments (Income on investments from earmarked / endowment funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	17,75,335	16,58,715
Other Income	18	58,37,206	56,40,119
Increase / (Decrease) in stock of finished goods and works - in - progress	19	-	-
TOTAL (A)		39,40,63,292	32,22,13,642
EXPENSES			
Establishment Expenses	20	2,23,35,362	2,35,72,724
Other Administrative Expenses	21	36,78,76,227	30,03,25,237
Expenditure on Grants and Subsidies	22	-	-
Finance Costs	23	-	-
Depreciation & Amortization	8	8,46,753	14,51,094
TOTAL (B)		39,10,58,343	32,53,49,055
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		30,04,949	(31,35,413)
Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being surplus/ (deficit) carried to corpus/capital fund		30,04,949	(31,35,413)
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	25		
Disclosures & Adjustments	26		

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


(AAO)
DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY (I/C)
MEMBER (LAW)
CHAIRPERSON

Date : 26.07.2023

Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND		
Balance as at the beginning of the year	17,30,758	1,84,13,117
Add: Contributions towards Corpus / Capital Fund		-
Less: Contributions from Corpus/ Capital Fund	-	(1,35,46,946)
Add / (Less): Balance of net income / expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	30,04,949	(31,35,413)
TOTAL	47,35,707	17,30,758

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS:		
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	FUND - WISE BREAK UP TOTALS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS			
a) Opening balance of the funds	-	-	-
b) Additions to the funds:			
i. Donations/grants	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-
iii. Other additions (specify nature)	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	-	-
c) Utilization/Expenditure towards objectives			
i. Capital Expenditure			
i. Fixed Assets	-	-	-
ii. Others	-	-	-
TOTAL	-	-	-
ii. Revenue Expenditure			
i. Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-
ii. Rent	-	-	-
iii. Other Administrative Expenses	-	-	-
TOTAL	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR -END (a + b - c)	-	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government	-	-
2. State Government (specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
i. Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
i. Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government (specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other institutions and agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Other (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods	-	-
b) Others	-	-
3. Advances received	-	-
4. Interest accrued but not due on		
a) Secured loans / borrowings	-	-
b) Unsecured loans / borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities		
a) GST TDS	1,15,968	-
b) Tax Deducted at Source	8,68,972	55,879
c) CPF / GPF / EPF / NPS / CGEIS	1,11,037	-
6. Other current liabilities		
a) Reimbursements to staff & others	33,988	70,180
b) Other Allowance to Staff Payable	1,17,000	1,35,000
c) Leave Salary & Pension Contribution of Deputationist	48,565	-
d) Expenses Payable	56,84,042	79,80,439
e) EMDs & Retention Moneys	10,17,983	6,52,983
f) CPF and Interest Payable of Hon'ble Chairperson/Member	6,64,566	1,53,159
g) License & Petition Fees to be remitted to Ministry of Power	11,14,47,098	2,55,59,995
h) Claims of Ombudsman Expenses to be remitted to Ministry of Power	4,12,446	56,874
i) Accumulated Leave Encashment & Gratuity payable of Regular Employees	26,44,828	23,79,751
TOTAL (A)	12,31,66,493	3,70,44,260
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity of Deputationist	84,055	-
3. Superannuation / Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties / Claims	-	-
6. Others (specify)		
(i) Audit Fee Payable	28,76,900	15,25,670
(ii) Newspaper & Telephone Expenses	84,463	90,163
(iii) Petition fee to be returned	55,000	55,000
(iv) Leave Salary & Pension Contribution of Deputationist	3,61,103	-
(v) Other Administrative Expenses	6,50,338	-
TOTAL (B)	41,11,859	16,70,833
TOTAL (A + B)	12,72,78,352	3,87,15,093

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

as at 31st March 2023

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	COST / VALUATION as at 01.04.2022	ADDITIONS during the year	DISPOSALS during the year	COST / VALUATION as at 31.03.2023	As at 01.04.2022	ADDITIONS during the year	DEDUCTIONS during the year	As at 31.03.2023	As at 31.03.2023	As at 31.03.2023
1. LAND										
a) Freehold										
b) Leasehold										
TOTAL										
2. BUILDINGS										
a) On freehold land										
b) On leasehold land										
c) Ownership Flats / Premises										
d) Superstructures on land not belonging to JERC										
TOTAL										
3. PLANT, MACHINERY & EQUIPMENTS										
4. VEHICLES										
5. FURNITURE & FIXTURES										
a. Office equipment	28,78,700	17,690	-	28,91,390	15,89,460	3,96,792	-	19,86,253	9,05,137	12,89,240
b. Computer & computer peripherals	39,86,133	3,08,642	-	42,94,775	35,98,884	2,24,734	-	38,23,618	4,71,157	3,87,749
c. A/Cs and Woodwork	18,40,753	-	-	18,40,753	12,60,105	1,16,808	-	13,76,913	4,63,840	5,80,648
d. Library books	13,198	-	-	13,198	7,332	3,300	-	5,632	7,566	10,866
e. Tube wells and water supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	87,18,784	3,21,332	-	90,40,116	64,50,781	7,41,634	-	71,92,415	18,47,701	72,68,003
6. INTANGIBLE ASSETS										
a. Softwares with usage more than 365 days	4,22,794	-	-	4,22,794	3,17,575	1,05,119	-	4,22,794	0	1,05,119
TOTAL	4,22,794	-	-	4,22,794	3,17,575	1,05,119	-	4,22,794	0	1,05,119
6. OTHER FIXED ASSETS										
TOTALS AS AT 31.03.2023	91,41,578	3,21,332	-	94,62,910	67,68,456	8,46,753	-	76,15,210	18,47,700	23,73,122

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO)

DIRECTOR (F&I) & SECRETARY (I/C)

MEMBER (LAW)

CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023

Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2023**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
<u>SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS</u>		
1. In Government Securities	-	-
2. Other Approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
<u>TOTAL</u>	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
<u>SCHEDULE 10 - OTHER INVESTMENTS</u>		
1. In Government Securities	-	-
2. Other Approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
<u>TOTAL</u>	-	-

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2023	Balances as at 31.03.2022
Schedule 11 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.		
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-Trade	-	-
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
On Current Accounts	1,64,412	1,64,912
On Deposit Account (includes margin money)	1,88,28,392	1,26,19,751
On Saving Accounts	10,39,04,143	1,78,74,223
b) With non-Scheduled Banks:		
On Current Accounts	-	-
On Deposit Account	-	-
On Saving Accounts	-	-
5. Post Office – Saving Accounts	-	-
6. Security Deposits (Rent)	64,12,974	64,12,974
7. Telephone Deposits	10,000	10,000
8. Claims Receivable in respect of Ombudsman Expenses	16,045	56,875
8. EPF Receivable from Delhi Electricity Regulatory Commission	71,684	-
TOTAL (A)	12,94,07,650	3,71,38,735
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans:		
a) Staff	-	-
b) Other entities engaged in activities / objectives similar to that	-	-
c) Other (specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	6,47,143	8,19,829
c) Others Recoverables	1,11,566	1,14,166
d) Advances to Staff & Others	-	-
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Funds	-	-
b) On Investments & Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized- Rs...)	-	-
4. Claims Receivable	-	-
TOTAL (B)	7,58,709	9,33,995
TOTAL (A + B)	13,01,66,359	3,80,72,730

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES</u>		
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	2,000	9,940
2) Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (equipment/property)	-	-
e) Others (specify)	-	-
TOTAL	2,000	9,940

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES</u>		
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1) Central Government	9,67,63,000	9,07,18,000
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions / Welfare Bodies	-	-
5) International Organizations	-	-
6) Others (specify)	-	-
TOTAL	9,67,63,000	9,07,18,000

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS</u>		
1) Entrance fees	-	-
2) Annual fees/subscriptions	-	-
3) Seminar/program fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others (specify)		
a) Petition Fees	4,09,46,076	4,17,15,513
b) License Fees	24,87,39,675	18,24,71,355
TOTAL	28,96,85,751	22,41,86,868

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS		
(Income on Invest. from earmarked/endowment funds transferred to funds)		
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-
2) Dividends:		
a) On Shares	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-
3) Rent	-	-
4) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED		
1) On Term Deposits		
a) With scheduled banks	6,96,861	12,17,359
b) With non-scheduled banks		-
c) With institutions		-
d) Others		-
2) On Savings Accounts		
a) With scheduled banks	10,78,474	4,41,356
b) With non-scheduled banks		-
c) Post Office savings accounts		-
d) Others		-
3) On Loans		
a) Employees / Staff		-
b) Others		-
4) Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL	17,75,335	16,58,715

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2023**

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 18 - OTHER INCOME</u>		
1) Profit on Sale / Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	82,370
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-
2) Export incentives realized		-
3) Fees for miscellaneous service and others	2,23,440	1,430
4) Miscellaneous income		
a) Provisions Reversed	63,762	1,11,822
b) Interest Received on TDS Refund	-	3,08,367
c) Tender Processing Fees	50,000	32,000
d) Prior Period Income	-	1,349
5) Claims in respect of Ombudsman Expenses		
a) Current Year	55,00,004	51,02,781
TOTAL	58,37,206	56,40,119

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS</u>		
a) Closing stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
NET INCREASE / (DECREASE)	-	-

(Amount in ₹)		
PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
<u>SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES</u>		
a) Salaries & Wages	1,03,24,344	1,09,88,755
b) Allowances and Bonus	71,43,096	69,27,330
c) Contribution to Provident Fund (including Interest Expenses)	2,48,114	1,63,726
d) Contribution to other fund (specify)	-	-
i) Central Government Employees Group Insurance Scheme	-	-
ii) National Pension System	35,752	-
iii) Employees Provident Fund	11,85,362	12,08,660
e) Staff Welfare Expenses	6,20,197	10,80,532
f) Expenses on employees retirement and terminal benefits	7,89,805	15,97,756
g) Others (specify)		
i) Child Education Allowance	1,17,000	1,35,000
ii) Leave Encashment	2,98,098	2,67,086
iii) Leave Travel Concession	1,88,525	11,372
iv) Prior Period Expenses	48,565	2,400
v) Electricity Ombudsman Fee & Others.	13,36,505	11,90,107
TOTAL	2,23,35,362	2,35,72,724

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Electricity and power	14,16,418	13,12,529
b) Water charges	10,496	7,014
c) Repairs and maintenance	-	-
d) Rent, rates and taxes	2,74,30,032	2,75,91,964
e) Postage, Telephone and Communication Charges	4,88,046	4,85,029
f) Printing and Stationery	5,56,305	4,78,502
g) Traveling and conveyance expenses	1,07,589	70,534
h) Expenses on Seminars / Workshops / Meetings	-	-
i) Subscription expenses	-	70,800
j) Expenses on fees	7,00,101	6,61,090
k) Auditors Remuneration	9,77,620	9,40,570
l) Professional charges	93,35,007	78,79,850
m) Advertisement and publicity	6,38,317	6,01,512
n) Others (specify)		
(i) Petition Fee, License Fees & Interest to be Remitted to MoP	29,15,45,093	22,56,16,287
(ii) Claims of Ombudsman Expenses to be Remitted to MoP	55,00,004	51,02,781
(iii) Outsourcing of Personnel	49,06,482	75,61,858
(iv) Outsourcing of Housekeeping	8,53,748	10,16,520
(v) Outsourcing of Security Personnel	7,51,291	8,22,107
(vi) Legal Fees	7,93,650	2,73,500
(vii) Bank Charges	24	434
(viii) Expenditure on Electricity Ombudsman	41,56,174	39,12,674
(ix) Office Expenses (Misc.)	9,67,335	10,09,099
(x) Consultancy Charges	80,37,206	88,04,747
(xi) Public Hearing expenses	14,17,048	-
(xii) Hiring of Vehicle Expenses	23,58,290	17,77,340
(xiii) E-office Server Charges	24,70,920	24,70,920
(xiv) Software Expenses & Website hosting fee	2,87,787	4,71,821
(xv) Foreign Travel	15,63,582	-
(xvi) Prior Period Expenses	6,07,662	13,85,755
TOTAL	36,78,76,227	30,03,25,237

(Signature)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET as at 31st March 2023

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS / SUBSIDIES ETC.		
a) Grants given to institutions / organizations	-	-
b) Subsidies given to institutions / organizations	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2023	For The Year Ended 31.03.2022
SCHEDULE 23 - FINANCE COSTS		
a) On fixed loans	-	-
b) Other Interest Costs	-	-
TOTAL	-	-

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


(AAO)


DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY (I/C)


MEMBER (LAW)


CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

Note No. – 24

NOTES TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Corporate and General Information

Joint Electricity Regulatory Commission for Union territories was constituted by the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.643(E) dated the 2nd May, 2005;

And whereas, the State Government of Goa agreed to join the said Joint Commission and authorised the Central Government in this behalf under section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.1271(E), dated the 30th May, 2008 has facilitated the State of Goa to join the said Joint Commission.

1. Significant Accounting Policies

1.1 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. Government grants/subsidy and License Fee & Petition Fee are accounted on realization basis. The Financial statements are presented in Indian Rupees rounded off to the nearest Rupee.

1.2 Inventory Valuation

The organization has no Inventory / Stock as on date and being a Regulatory Commission shall not hold any stock or inventory, whatsoever.

1.3 Investments *

a) Investments classified, as "Long Term Investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

b) Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

c) Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

1.4 Fixed Assets

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

1.5 Depreciation

a) Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liability for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

b) In respect of additions to /deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

c) Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

1.6 Miscellaneous Expenditure *

Deferred revenue expenditure, if and whenever incurred, is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

(A) A

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

1.7 Accounting for Sales

The organization is a regulatory body setup by the Ministry of Power and has no sales during its tenure of operations.

1.8 Government Grant/Subsidies

a) Government grants of the nature of Revenue are charged in Income & Expenditure Account as indirect income.

b) Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

1.9 Foreign Currency Transactions *

a) Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

b) Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year-end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

1.10 Lease

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

1.11 Retirement Benefits

Retirement Benefits are accounted for as per Actuarial Valuation.

1.12 License Fees / Petition Fees

a) License and Petition Fees are accounted for on Cash Basis.

1.13 TDS in GST

The organisation deducts TDS on GST on each payment to vendor.

* Denotes the following

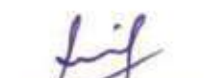
(a) Para 1.3 :- The organization is a Regulatory Commission setup by the Ministry of Power, Govt. of India. The Licence fee & petition fees received from Electricity Departments of Union Territories, in course of activities of the Commission are invested in form of short-term fixed deposits and the accumulated funds then remitted to Ministry of Power periodically. Also, the CPF contributions of Hon'ble Chairperson and Member reinvested as short-term fixed deposits and respective liabilities/terminal benefits are discharged upon their retirement.

(b) Para 1.6:- No deferred revenue expenditure has been written off over the period of 5 years in the current year.

(c) Para 1.9:- Being a Regulatory Commission there is no foreign currency transaction of Joint Electricity Regulatory Commission.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


(AAO)


DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY(I/C)


MEMBER (LAW)


CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

Note No. – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

- 1.1 There are no claims against the entity not acknowledged as debts.
- 1.2 There are no bank guarantees given by / on behalf of the entity.
There are no letters of credit opened by the bank on behalf of the entity.
There are no bills discounted with banks.
- 1.3 There are no disputes/demands in respect of Income Tax, Good & Service Tax and / or Municipal Taxes.
- 1.4 HSIIDC has claimed Rs.22.67 Lakhs towards rent payable. The same has not been recognized as expenses as final settlement is still pending.

2. Capital Commitments

There are no contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.

3. Lease Obligations

There are no future obligations for rental under finance lease arrangements for plant and machinery.

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management, Current Assets & Loans and advances are valued at cost or net realizable value which shall not be less than the amount shown in Balance Sheet.

5. Taxation

Since Income Tax of JERC is exempt under I.T. Act, so, no provision for Income Tax has been considered necessary. Also, the organization has obtained Income Tax Exemption Certificate under section 10(46) of the Income Tax Act, 1961.

6. Foreign Currency Transactions

6.1	Value of Imports Calculated on C.I.F Basis	–	NIL
6.2	Expenditure in Foreign Currency	–	NIL
6.3	Value of Exports on FOB Basis (Earnings)	–	NIL

7. Remuneration to Auditors

- 7.1 Provision made for remuneration payable to auditors for Internal Audit for FY 2022 – 23 amounts to Rs.25,370/-.
- 7.2 Provision has been made for remuneration payable to C&AG Auditors for Audit of the FY 2021-22(Accounts Audit) and FY 2022-23(Compliance Audit) at Rs. 9,52,250/-.

8. Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified, wherever necessary.

(Kj) 

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

9. Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2023 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
10. JERC fund has not been created in the financial year 2022-23. The Compliance of Ministry of Power notification dated 17.03.2016 could not be made as the response from Ministry of Power is still awaited.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


(AAO)


DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY(I/C)


MEMBER (LAW)


CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

Note No. – 26

DISCLOSURES & ADJUSTMENTS IN THE BALANCE SHEET FOR FY 2022-23

1. i. Expenditure incurred for the Office of the Electricity Ombudsman as claimed from Electricity Department/Corporation of the Union Territories for the FY 2022-23 of Rs.55,00,004/- (Schedule-18 of 5(a)) is as detailed below.

Electricity Department, Andaman & Nicobar Island	Rs.	5,62,176.00
Dadra and Nagar Haveli Power Distribution Corp. Ltd	Rs.	17,67,196.00
Electricity Department, Chandigarh	Rs.	4,39,604.00
Electricity Department, Goa	Rs.	11,88,444.00
Electricity Department, Daman & Diu	Rs.	6,57,424.00
Electricity Department, Lakshadweep	Rs.	92,356.00
Electricity Department, Puducherry	Rs.	7,92,804.00
Total	Rs.	<u>55,00,004.00</u>

ii. The entire amount upon receipt is remitted to the PAO, Ministry of Power. However, the Commission shall continue to bear the expenses of Electricity Ombudsman out of the Grants being received from the Ministry of Power.

iii. The expenditures related to Establishment Expenses & Other Administrative Expenses have been booked separately. Details as under: -

Particular	Head of Expenses	Amount (Rs.)
Schedule 20 - Establishment Expenses. (g) v	Ombudsman Salary	13,15,546.00
	Staff welfare	20,959.00
Schedule 21 – Other Administrative Expenses	Rent	29,41,116.00
	Other staff expenses	8,75,920.00
	Electricity & Power	1,53,104.00
	Printing & Stationary	29,279.00
	Postage & Telephone Expenses	29,125.00
	Traveling Expenses	1,27,630.00
Total		<u>54,92,679.00</u>

iv. The excess demand over expenditure of Rs.7,325/- shall be adjusted in next Financial Year.

2. Provision for few expenses related to Establishment & Administrative for the previous year which could not been made. The same has been reflected as prior period expenses (Establishment) (Administrative) in the current Financial Year i.e.2022-23.

(Signature) _____

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

3. As per their appointment letters of Hon'ble Chairperson & Member of the Commission appointed by MOP, CPF contribution are to be made.

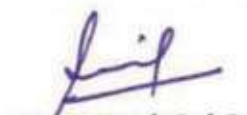
JERC is a two-member Commission hence the CPF trust is not created. These contributions are made as unrecognized funds due to non-availability of CPF Trust. Their CPF Contributions, both Employers and Employees Share are parked as fixed deposits on a monthly basis. The amount so invested in CPF FD are remitted to them towards terminal benefits along with interest at the CPF rate decided by the Ministry of Finance from time to time. Necessary Provisions have been made thereof.

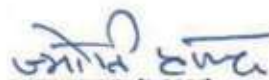
4. Section 4 of Gratuity Act provides that an employee is entitled to the payment of gratuity, if they have rendered five years of continuous service upon superannuation, retirement, resignation, etc.

It is therefore necessary provisions for gratuity and also leave encashment of the employee of the commission has been made based on Actuarial Valuation and such funds have been parked as fixed deposit.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


(AAO)


DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY(I/C)


MEMBER (LAW)


CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT for the year ended 31st March 2023

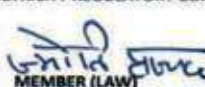
(Amount in ₹)

RECEIPTS	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022	PAYMENTS	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	2,11,02,762	2,59,43,357
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	4,00,25,456	3,39,27,740
i) In current accounts	1,64,912	4,09,83,985			
ii) In deposit accounts	1,26,19,751	2,26,41,374			
iii) Savings accounts	1,78,74,223	2,42,585			
	3,06,58,886	6,38,67,944		6,11,28,218	5,98,71,097
II. Grants Received			II. Payments made against funds for various		
a) From Government of India	9,67,63,000	9,07,18,000			
b) From State Government	-	-			
c) From other sources (details) (Grants for	-	-			
	9,67,63,000	9,07,18,000			
III. Income on Investments from			III. Investments and deposits made		
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	a) Out of Earmarked / Endowment funds	-	-
b) Own Funds (Other Investment)	-	-	b) Out of Own Funds	-	-
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) On Bank deposits	7,17,724	12,85,342	a) Purchase of Fixed Assets	3,21,332	4,52,758
b) Loans, Advances etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
c) On Saving Bank	10,78,474	4,41,478		3,21,332	4,52,758
	17,96,198	17,26,820			
V. OTHER INCOME (SPECIFY)			V. Refund of Surplus money / Loans		
a) Ombudsman expenses recoupment	55,33,509	1,81,70,558	a) To the Government of India	-	-
b) Petition Fee	4,09,46,076	4,17,15,513	b) To the state Government	-	-
c) Licence Fee	24,87,39,675	18,24,71,355	c) To other providers of Funds	-	-
d) Sale of Fixed Assets	-	1,52,364		-	-
	29,52,19,260	24,25,09,790		-	-
VI. Amount Borrowed			VI. Finance Charges (Interest)		
VII. Any other receipts (give details)			VII. Other Payments (Specify)		
a) EMD Received	7,65,000	46,00,000	a) TDS Payment & TDS on GST	49,22,128	54,83,189
b) Misc.Fee	2,23,440	1,430	b) Bank Charges	24	434
c) Performance Guaranty	-	11,850	c) Consultant Payment	76,09,911	83,87,201
d) Sale of Scrap	2,000	9,940	d) Outsourcing Employee Payment	74,72,027	86,95,255
e) Others	2,13,032	19,960	e) Professional & Legal Fee	94,77,163	74,40,190
f) TDS Refund received including Interest	-	8,34,780	f) Reimbursement of expenses	10,81,569	3,17,643
g) Processing Fee	50,000	35,000	g) EMD Refund	4,00,000	42,00,000
h) Forum of Regulators	6,10,985	-	h) Ministry of Power(License fee, Petition Fee, Misc. & Interest Remitted)	21,09,92,482	27,88,28,867
	18,64,457	55,12,960		24,19,55,304	31,33,52,779
TOTAL	42,63,01,801	40,43,35,514	VIII. Closing Balances		
			a) Cash in hand	-	-
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	1,64,412	1,64,912
			ii) In deposit accounts	1,88,28,392	1,26,19,745
			iii) Savings accounts	10,39,04,143	1,78,74,223
				12,28,96,947	3,06,58,880
				42,63,01,801	40,43,35,514


(AAO)

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION


DIRECTOR (F&L) &
SECRETARY (I/C)


MEMBER (LAW)


CHAIRPERSON

Date: 26.07.2023
Place: Gurugram

5. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Shri S.D. Sharma, Director (Finance & Law) was designated as Appellate Authority under Section 19 of the RTI Act, 2005 and Shri Dheeraj Yadav, Admin-cum-Accounts Officer was designated as Central Public Information Officer of the Commission

A total number of 15 RTI applications were received and disposed of during the financial year.

6. AGENDA FOR FINANCIAL YEAR 2023-24

6.1 Annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for True ups for previous years, Annual Performance Review of FY 2023-24 and determination of tariff for FY 2024-25 for the six distribution licensees under its jurisdiction and issue the Tariff Orders after following the laid down procedure.

6.2 Generation & Transmission Tariff Orders

One Generation Tariff Order for Puducherry Power Corporation Limited and three Transmission Tariff Orders for (1) Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli-66 kV, (2) Electricity Department-Daman & Diu-220 kV and (3) DNHDD Power Corporation Limited shall also be issued as per procedure for FY 2024- 25.

6.3 Amendment in Regulations

The following Regulations are proposed to be reviewed and amended during the FY 2023-24: -

- (1) JERC (Appointment of Consultants) Regulations, 2009
- (2) JERC (Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019
- (3) JERC (Solar Power -Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering) Regulations, 2019
- (4) JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009
- (5) JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2018
- (6) JERC (Generation, Transmission & Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2021

6.4 State Advisory Committee Meetings

Meetings of the State Advisory Committee are being planned in FY 2023-24 in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009.

ANNEXURE-1

DETAILS OF CGRFs IN ALL THE TERRITORIES

S. No	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1	Goa	1. Shri Ashley Leonard Camilo Noronha 2. Vacant 3. Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco, Goa-403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com Adv.sandracorreia@gmail.com
2	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri R. Ravichandar 2. Shri Narayan Chandra Baroi 3. Smt. Biji Thomas	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	No. EL/03 & 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	03192-244822(O)	cgrf.and@nic.in and cgrf@rediffmail.com
3	Chandigarh	1. Vacant 2. Sh. Rajinder More 3. Sh. Jaswinder Singh Sidhu	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector 19-B, Chandigarh	0172-2542012 (O) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1. Shri Rajiv K Purohit 2. Shri Dharmesh Dave 3. Vacant	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, 66KV substation, Amli Road, Silvassa -396250	9099991912	consumerforumdnhdd@torrentpower.com
5	Lakshadweep	1. Vacant 2. Vacant 3. Smt. Sunidha Ismail KRB	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, Lakshadweep - 682555	9496196167	Lk-ktelect@nic.in Ssunidha766@gmail.com
6	Puducherry	1. Sh. T. Gopalkrishnan 2. Sh. A.S. Jitendra Rao 3. Sh. R. Krishnamurthy	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry -605005	04132201351 04132201451	cgrfpon@gmail.com

ANNEXURE-2

DETAILS OF PUBLIC HEARINGS/OTHER HEARINGS CONDUCTED BY THE COMMISSION AND ISSUANCE OF ORDERS DURING FY 2022-23: -

S.No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hearing	Date of Order
1	78/2022	Electricity Department, Andaman & Nicobar Administration	Approval of Business Plan for MYT Control Period from FY 2022-23 to FY 2024-25	24.05.2022 (Havelock) & 27.05.2022 (Port Blair)	01.08.2022
2	79/2022	Electricity Department, Chandigarh	Approval of Business Plan for Multi-Year Control Period from FY 2022-23 to FY 2024-25	13.05.2022	11.07.2022
3	80/2022	Electricity Department, Chandigarh	Approval of True-up of FY 2020-21, Annual Performance Review of FY 2021-22 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2022- 23 to FY 2024-25	13.05.2022	11.07.2022
4	81/2022	Electricity Department, Andaman & Nicobar Administration	Annual Performance Revenue for FY 2021-22, Aggregate Revenue Requirement for 3rd MYT Control Period (FY 2022-23 to FY 2024- 25) & Determination of Retail Supply Tariff for the year FY 2022-23	24.05.2022 (Havelock) & 27.05.2022 (Port Blair)	01.08.2022
5	82/2022	Electricity Department, Puducherry	Review of Tariff Order dated 31.03.2022 issued by the Hon'ble Commission on True-up for FY 2020-21, Annual Performance Review for FY 2021-22 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) 3rd Control Period and determination of Retail Tariff for the FY 2022-23 in Petition No. 70/2021 for the Electricity Department, Government of Puducherry	28.07.2022 (Virtual Hearing)	01.08.2022
6	83/2022	Rane Brake Lining Limited	Relaxation of the Provision 4.4 of the JERC for the State of Goa and Union Territories (Solar PV Grid Interactive System based on Net-Metering) Regulations, 2019, imposing cap on maximum Solar Power Generation Capacity to be installed at Consumer premises.	15.12.2022 (Virtual Hearing)	25.04.2023

7	84/2022	Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration	Petition for approval of Tariff and procurement of Power from 4MWp Floating Solar Power Plant with 2MW/1MWhr BESS.	18.10.2022 (Virtual Hearing)	24.05.2023
8	85/2022	Electricity Department, Goa	True-up for the FY 2017-18, FY 2018-19 and FY 2019-20	22.11.2022 (Virtual Hearing)	28.03.2023
9	86/2022	Electricity Department, Andaman & Nicobar Administration	Petition for approval of agreement for Purchase of Power through DG Sets to deliver 1.2 MW power on round the clock basis to the 33kV Transmission and Distribution System at Mayabunder having evening Peak Load of 1.6 MW (05:00PM to 10:00 PM) and Average Day and Night Load on the tune of 1.5 MW with guaranteed generation of 5.2 lakh units per month for a period of three years, between Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration, Vidyut Bhawan, Port Blair - 744101, and M/s. Mona Generator Services Pvt. Limited, I-A, Basement, 30-31, Raja House, Nehru Place, New Delhi-110019	20.12.2022 (Virtual Hearing)	24.04.2023
10	87/2022	Electricity Department, Andaman & Nicobar Administration	Petition for approval of agreement for Purchase of Power through DG Sets to deliver 5 MW power continuously to the 33kV Grid of Electricity Department at Bambooflat with minimum guaranteed unit delivery of 2.92 MU per month for a period of three years or till commissioning of 50 MW LNG Power Plant, whichever is earlier, between Electricity Department, Andaman and Nicobar Administration, Vidyut Bhawan, Port Blair- 744101, and M/s. Aggreko Energy Rental Pvt. Limited, the Chambers, Office Number 501, Plot Number 4/12/13, Viman Nagar, Pune.	20.12.2022 (Virtual Hearing)	24.04.2023
11	88/2022	Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	True-up of the FY 2020-21 and FY 2021-22, Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023	28.03.2023

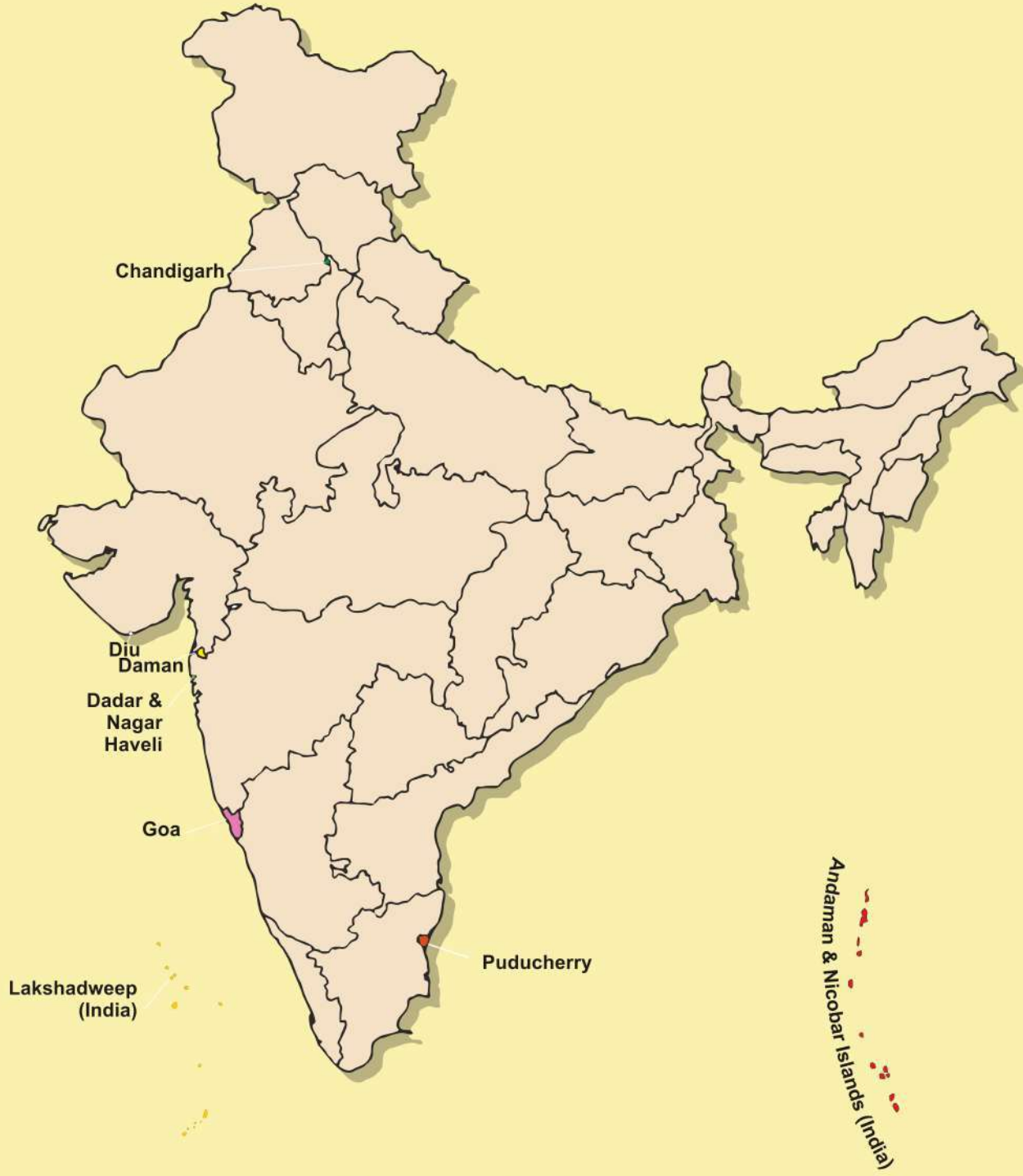
12	89/2022	DNH and DD Power Distribution Corporation Limited (DNHDDPDCL)	TARIFF ORDER Review of Aggregate Revenue Requirement of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24.	10.05.2023 Silvassa and Daman & Diu 12.05.2023	01.08.2023
13	91/2022	Electricity Department, Lakshadweep	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	28.02.2023	28.03.2023
14	92/2022	Electricity Department, (Transmission Division), UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24	02.03.2023	30.03.2023
15	93/2022	DNHDD Power Corporation Limited	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirements (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Transmission Tariff for FY 2023-24	02.03.2023	30.03.2023
16	94/2022	Electricity Department of Daman & Diu	True-up of FY 2021-22, Annual Performance Review of FY 2022-23 and Determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and Determination of Transmission Tariff for FY 2023-24.	02.03.2023	30.03.2023
17	95/2022	Electricity Department, Goa	Approval of Annual Performance Review of FY 2022-23 Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	15.02.2023	30.03.2023
18	96/2022	Electricity Department, Puducherry	True-up for FY 2021-22 Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	24.02.2023	30.03.2023

19	97/2023	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands	Annual Performance Review for FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2023-24	07.03.2023 (Havelock) & 10.03.2023 (Port Blair)	28.03.2023
20	98/2023	DNHDD Power Distribution Corporation Limited	Miscellaneous Petition under Clause 3.1.1 (b) and Clause 19 of the Guidelines for Tariff-Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The-Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage notified by the Ministry of Power on 22nd July 2020, as amended from time to time for approval of deviations from the said Guidelines.	08.02.2023	15.03.2023
21	99/2023	Electricity Department, Chandigarh	Approval for True-up of FY 2020-21 and True-up of FY 2021-22 Annual Performance Review (APR) of FY 2022-23 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2023-24	17.03.2023	30.03.2023

ANNEXURE-3**List of Regulations as on 31.03.2023**

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
1.	JERC-01/2009	(Conduct of Business) Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2013 • Third Amendment Regulations-2014 • Fourth Amendment Regulations-2015 • Fifth Amendment Regulations-2019	30.07.2009 • 30.04.2013 • 11.10.2013 • 15.05.2014 • 11.02.2015 • 11.09.2019
2.	JERC-02/2009	Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff Regulations-2009	30.07.2009
3.	JERC-03/2009	Appointment and Functioning of Ombudsman Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2017 (REPEALED)	31.07.2009 • 04.04.2013 • 01.01.2015 • 12.06.2017
4.	JERC-04/2009	Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 (REPEALED)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	JERC-05/2009	(Treatment of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) • First Amendment Regulations-2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	JERC-06/2009	Standard of Performance Regulations-2009 (REPEALED)	18.12.2009
7.	JERC-07/2009	State Advisory Committee Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	JERC-8/2009	Appointment of Consultants Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015	11.02.2010 • 21.01.2015
9.	JERC-9/2009	Open Access in Transmission and Distribution Regulations-2009 (REPEALED)	11.02.2010
10.	JERC-10/2009	Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations-2009 (REPEALED)	08.02.2010
11.	JERC-11/2010	Electricity Supply Code Regulations-2010 (REPEALED)	20.05.2010
12.	JERC-12/2010	State Grid Code Regulations-2010	07.08.2010
13.	JERC-13/2010	Electricity Trading Regulations-2010	31.08.2010

14.	JERC-14/2010	Procurement of Renewable Energy Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2014 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2016 • Fourth Amendment Regulations-2022	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016 • 24.03.2022
15.	JERC-15/2010	Distribution Code Regulations-2010	11.08.2010
16.	JERC-16/2013	Procedure for filing appeal before the Appellate Authority Regulations-2013	29.04.2013
17.	JERC-17/2014	Demand Side Management Regulations-2014	24.06.2014
18.	JERC-18/2014	Multi Year Distribution Tariff Regulations-2014 (REPEALED)	30.06.2014
19.	JERC-19/2015	Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations-2015 (REPEALED)	15.05.2015
20.	JERC-20/2015	Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation-2015	24.07.2015
21.	JERC-21/2017	Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations-2017 • First Amendment Regulations, 2020 • Second Amendment Regulations, 2022	14.03.2018 • 25.11.2020 • 20.05.2022
22.	JERC-22/2018	Generation, Transmission and Distribution Multi-Year Tariff-Regulations, 2018	10.08.2018
23.	JERC-23/2018	Electricity Supply Code Regulations-2018 • First Amendment Regulations-2019 • Second Amendment Regulations-2021	26.11.2018 • 25.03.2019 • 25.06.2021
24.	JERC-24/2019	Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering Regulations-2019	24.07.2019
25.	JERC-25/2019	Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulations-2019 • Extension of applicability of Control Period-Order	24.07.2019 • 23.08.2022
26.	JERC-26/2019	Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman Regulations-2019 • Corrigendum	11.09.2019 • 21.04.2020
27.	JERC-27/2020	Transmission and Distribution Licensing Regulations-2020	10.02.2021
28.	JERC-28/2020	Generation, Transmission and Distribution Multi-Year Tariff Regulations, 2021	22.03.2021



संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं० 55-56, सेक्टर-18,
उद्योग विहार फेस-IV गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
ई-मेल: secy.jercuts@gov.in • वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Sector-18,
Udyog Vihar Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in • E-mail: secy.jercuts@gov.in